

राज्य सैनिक परिषद का संक्षिप्त इतिहास

भूमिका

1. भारत सरकार के आदेशानुसार वर्ष 1917 में उत्तर प्रदेश में सचिवालय में एक 'वार बोर्ड' की स्थापना की गई। वर्ष 1919 में इस वार बोर्ड को प्रान्तीय सोल्जर्स बोर्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इसकी स्थिति सचिवालय के एक विभाग के समकक्ष थी। इसका व्यय सचिवालय के बजट से ही वहन किया जाता था। प्रान्तीय सोल्जर्स बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल महोदय होते थे। अतः अप्रैल 1942 में यह कार्यालय दूसरे विश्व महायुद्ध के दौरान सचिवालय से राजभवन में कर दिया गया और 31 मार्च, 1949 तक यही स्थिति रही। अप्रैल, 1969 से प्रान्तीय सोल्जर्स बोर्ड का बजट सचिवालय में अलग कर दिया और अगस्त, 1948 में इस परिषद के लिये पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति भी कर दी गई। यह स्थिति 1971 तक बनी रही।

उद्देश्य

2. राज्य सरकार पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयत्नशील है इसके लिए राज्य स्तर पर निदेशालय सैनिक कल्याण के अन्तर्गत प्रदेश में 65 (पैंसठ) जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कार्यरत हैं। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं का क्रियान्वयन कराना है साथ ही सेवारत सैनिकों के परिवारों से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण भी कराना है। इस विभाग द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। महानिदेशक पुनर्वास, नई दिल्ली, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सेना के तीनों अंगों एवं व्यावसायिक संगठनों से समन्वय स्थापित कर मुख्य कल्याणार्थ कार्य किए जाते हैं।

संक्षिप्त इतिहास

3. वर्ष 1959 में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सैनिक परिषदों के कार्यालयों को अधिक प्रगतिशील बनाने का निश्चय किया था किन्तु वर्ष 1971 तक इन पर कोई विशेष प्रगति नहीं हो पायी। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के समय उत्पन्न हुई स्थिति से इस परिषद के उत्तरदायित्व अधिक बढ़ा दिये गये जिसके फलस्वरूप इस संस्था के सुदृढीकरण और पुनर्जीवन प्रदान करने के लिये इस संस्था का स्तर सैनिक कल्याण निदेशालय कर दिया। इस निदेशालय का कार्यभार एक वरिष्ठ अवकाश प्राप्त सेनाधिकारी को सौंपा गया तथा इसके लिये एक उपनिदेशक और 16 लिपिक कर्मचारी स्वीकृत किये गये जिसके फलस्वरूप निदेशालय के कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है।

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| (क) | पुनर्वास | - उपनिदेशक के अधीन |
| (ख) | राज्य/जिला सैनिक परिषदों से सम्बन्धित कार्य | - सचिव के अधीन |

4. वर्ष 1972 से पूर्व राज्य सैनिक परिषद में भूतपूर्व सैनिकों का मंडलीय स्तर पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं था परन्तु वर्ष 1973 से नये राज्य सैनिक परिषद के संविधान में इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है।

5. निदेशक की नियुक्ति के पश्चात यह प्रतीत हुआ कि परिषद का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था । जिससे अत्यधिक कार्य भी अब अवशेष में पड़ गया था जिसको वांछित रूप से चलाने के लिये समय-समय पर शासन के पास प्रस्ताव भी भेजे गये हैं ।

6. वर्ष 1971 से पूर्व इस कार्यालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

- (क) राज्य में जिलों की सैनिक, नाविक तथा वैमानिक परिषदों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना ।
- (ख) भूतपूर्व सैनिकों और सेना के वर्तमान सैनिकों के कुटुम्बों की भलाई के साधनों को बढ़ावा देना ।
- (ग) देश में सशस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में साधारण जनता में सूचना का प्रसार करना तथा सामान्य समय में सेनाओं के प्रति बुद्धियुक्त अभिरूचि जाग्रत करने के लिये उपाय करना ।
- (घ) सिविल अधिकारियों से ऐसे सभी विषयों के बारे में निवेदन करना और समझाना जो सैनिक वर्गों के विशेष महत्व अथवा हितकर हों और जिनके सम्बन्ध में राज्य के शासन का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो ।
- (ङ) जिला सैनिक नाविक तथा वैमानिक परिषदों के माध्यम से उपर्युक्त प्राधिकारियों के समक्ष सैनिक सेवा के सभी वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकताओं और कठिनाईयों को प्रस्तुत करके उनकी सहायता करना ।
- (च) निदेशक राष्ट्रीय नियोजन एवं सेवा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेशीय यद्ध-स्तर सेवा पुनर्निर्माण को न्यास(ट्रस्ट) के न्यासियों/ट्रस्टियों के निकट सम्पर्क में ऐसी योजनाओं के चलाने के लिये कार्य करना जो भूतपूर्व सैनिकों को फिर से नौकरी दिलाने में सहायक हो और अन्य उद्योग धन्धों में लगाने के निमित्त ऐसी सहकारी समितियों की स्थापना तथा अन्य उपायों के लिये हों जिनका प्रारम्भ भूतपूर्व सैनिकों के लाभार्थ किया गया हो ।
- (छ) सैनिक अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित करना और ऐसे विषयों को उनके समक्ष प्रस्तुत करना जो भूतपूर्व सैनिकों के सम्बन्ध में हो और जिन पर उनका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक हो ।

7. वर्ष 1971 में इस कार्यालय को निदेशालय का स्तर दिये जाने पर इस निदेशालय ने निम्न अतिरिक्त कार्यों के संचालन का उत्तरादायित्व भी संभाला :-

- (1) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या ।
- (2) भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण की योजनाएं बनाना ।
- (3) इन योजनाओं को समन्वय करके कार्यान्वित करना ।
- (4) शहीदों की विधवाओं की आवास योजनाएं ।

8. वर्ष 1965 में प्रांतीय कार्यालय
वर्ष 1971 में राज्य सैनिक परिषद उ0प्र0
वर्ष 1973 में निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0

9. निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0 कार्यालय भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सैनिक परिषद के दिशा निर्देश से राज्य सरकार के आदेशों पर कार्य करता है ।

10. निदेशालय सैनिक कल्याण में भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पुनर्योजन कल्याण कार्य, रोजागर/स्वतः रोजगार एवं योजना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं ।

नोट :- सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों का वित्तीय भार 50 प्रतिशत भारत सरकार तथा 50 प्रतिशत भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

राज्य सैनिक परिषद के उत्तरदायित्व

1. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों द्वारा संपादित कार्यों का नियंत्रण व संचालन करना तथा प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना ।
2. राज्य के मंत्रालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं उद्यमों के साथ निरंतर संपर्क में रह कर रिक्त स्थानों पर पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को स्थापित नियमानुसार सेवायोजन अवसर उपलब्ध कराना तथा ऐसी रिक्तियों का समय-समय पर निरीक्षण व पुनरीक्षण करते हुये, पात्र पूर्व सैनिकों व दिवंगत सैनिकों की पत्नियों द्वारा भरा जाना तथा पूर्व सैनिकों की राज्य में स्थापित भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण संबंधित नीति का केन्द्र के दिशा निर्देश के अनुरूप संशोधन करवाना । राज्य सैनिक परिषद द्वारा सुनिश्चित करना कि पूर्व सैनिकों को यथोक्तस्थान एवं स्तर राज्य सरकार द्वारा निर्मित 100 प्वाइंट्स रोस्टर के अनुरूप प्रदत्त है, जो राज्य आरक्षण नीति के अनुसार है तथा उपरोक्त को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सैनिक परिषद (के प्रतिनिधि का) राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन (आयोग) का सदस्य होना ।
3. सेवारत एवं पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों के साथ - साथ भारतीय सशस्त्र सेना के मृत कार्मिकों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु नीतियों व प्रावधानों को प्रोन्नत करना ।
4. भारत गणराज्य की सशस्त्र सेनाओं संबंधित सूचनाओं से सर्व साधारण को अवगत कराना तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति सार्वजनिक रूचि व रूझान उत्पन्न करना ।
5. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियमों व अनुदेशों के अनुरूप राज्य स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की कार्यशैली का प्रबंधन निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित करना तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में अधिकारियों व स्टाफ की नियुक्तियां निर्धारित रिक्तियों के अधार पर राज्य सरकार से समायोजन स्थापित कर करना ।
6. महानिदेशक पुनर्वास/केन्द्रीय सैनिक परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वहन करना ।
7. केन्द्रीय सैनिक परिषद को राज्य सैनिक परिषद तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों संबंधित 50 प्रतिशत व्यय वहन हेतु आय-व्ययक अभिलेखों का प्रेषण करना ।
8. पेंशनभोगी तथा नानपेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग पूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों व आश्रितों के साथ सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों संबंधित अद्यतन आकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
9. महानिदेशक पुनर्वास/केन्द्रीय सैनिक परिषद, नई दिल्ली को रिपोर्ट व रिटर्न का सामयिक प्रेषण ।

10. राज्य सैनिक परिषद के वार्षिक अधिवेशन को महामहिम राज्यपाल /माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित करवाना तथा एमलगमेटेड स्पेशल फण्ड अधिवेशन को महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित कराना । उपरोक्त अधिवेशनों में पुर्नवास एवं कल्याणकारी नीतियों तथा योजनाओं के निर्धारण एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रावधान व प्रक्रिया सुनिश्चित करना ।
11. निजी उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैनिक पत्नियों हेतु सेवायोजन के अवसर तलाशना ।
12. स्वरोजगार उद्यमों हेतु पूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैनिक पत्नियों को योजना प्रारूप निर्धारण तथा वित्तपोषण हेतु हर संभव सहायता प्रदान करना ।
13. सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि संबंधी बैठक आयोजित करना तथा राज्य स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालयों एवं स्वमंसेवी संस्थाओं हेतु वार्षिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना जिससे संपूर्ण वर्ष धन संकलन को प्रोत्साहित किया जा सके । एमलगमेटेड स्पेशल फण्ड को संरक्षित रखना तथा राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन/प्रोन्नत करने हेतु प्रबंध कमेटी के निर्णयानुसार उपरोक्त निधि का निवेश करना ।
14. पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिक पत्नियों हेतु अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना तथा विभागीय प्रयासों व गतिविधियों का मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार व प्रसार करवाना ।
15. पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं के तुरंत निदान व निराकरण हेतु पूर्व सैनिक रैली व पेंशन अदालतों का आयोजन करना व विस्तृत छूट के आधार पर निस्तारित विभिन्न मामलों का व्यापक प्रचार करना ।
16. राज्य में संपन्न पूर्व सैनिकों संबंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट महानिदेशक पुर्नवास/सचिव, केन्द्रीय सैनिक परिषद को प्रेषित करना एवं परिवर्तित परिप्रेक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।
17. जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण करना व तत्संबंधी रिपोर्ट मुख्य सचिव, केन्द्रीय सैनिक परिषद एवं महानिदेशक पुर्नवास को प्रेषित करना ।
18. यह सुनिश्चित करना कि केवल पूर्व सैनिक ही राज्य एवं जिला सैनिक परिषदों में सेवा योजित हैं के आधार पर केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत वेतन एवं भत्ते का आहरण करना । असैनिक कर्मचारियों का सेवायोजन केन्द्रीय सैनिक परिषद/महानिदेशक पुर्नवास/रक्षा मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के आधार पर ही किया जाना ।
19. राज्य/जिला सैनिक परिषद का ई-मेल के माध्यम से केन्द्रीय सैनिक परिषद से संपर्क स्थापित किया जाना ।

जिला सैनिक परिषद के उत्तरदायित्व

1. भारत गणराज्य की सशस्त्र सेनाओं संबंधित सूचनाओं से सर्व साधारण को अवगत कराना तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति सार्वजनिक रूचि, रूझान व सद्भावना उत्पन्न करने हेतु निरंतर प्रयासरत् रहना ।
2. सेवारत् एवं पूर्व सैनिकों के परिवारों के कल्याण से संबंधित समस्त मामलों को स्थानीय प्रशासन व रक्षा अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने में प्रतिनिधित्व करना तथा राज्य एवं जिला सैनिक परिषदों में सेवारत् कल्याण कार्यकर्ताओं द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु संपर्क करना, प्रोत्साहन प्रदान करना एवं तत्संबंधी विशिष्ट सूचना उपलब्ध कराना ताकि कल्याणकारी एवं पुर्नवास संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके व मामलों का उचित निस्तारण हो सके ।
3. भारतीय सशस्त्र सेनाओं में प्रचलित सेवा शर्तों संबंधी सूचना सर्वसाधारण को उपलब्ध कराना तथा इच्छुक प्रत्याशियों को सक्षम भर्ती प्राधिकारियों को संपर्क करने हेतु प्रोत्साहित करना ।
4. पेंशन प्रदान करने वाले कार्यालयों तथा पोस्ट आफिस शाखाओं की संख्या की पर्याप्तता की निगरानी करना ।
5. पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों को उपलब्ध निधियों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एवं केन्द्रीय सैनिक परिषद द्वारा सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रकरण संस्तुति सहित अग्रसारित करना ।
6. पूर्व सैनिकों की वित्तीय समस्याओं जैसे पेंशन ,सेवामुक्ति लाभ व अन्य प्रकरणों के निराकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के संगठनों से सहायता उपलब्ध कराना ।
7. पूर्व सैनिक पेंशनरों एवं उनके आश्रितों को तुरंत एवं सही पेंशन भुगतान हेतु पेंशन वितरण अधिकारी से सत्त संपर्क में रहना व समस्याओं का शीघ्र निराकरण करवाना ।
8. सेवारत् एवं पूर्व सैनिकों के भूमि संबंधी विवादों के तुरंत निराकरण हेतु सहायता प्रदान करवाना ।
9. सेवारत् सैनिकों के विरक्त् परिवारों की समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना ।
10. राज्य सैनिक परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सैनिक विश्रामग्रह, वृद्धावस्था विश्रामालय तथा अन्य प्रशिक्षण सुविधायें जिसमें बच्चों हेतु हास्टल शामिल हैं का अनुरक्षण एवं प्रोन्नयन करना ।
11. सैनिक एवं असैनिक अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना ।
12. युद्ध विधवाओं, उनके आश्रितों एवं युद्ध संक्रिया में अपंग हुये सैनिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु अद्यतन सूचना का अनुरक्षण करना ।
13. सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण जिसमें महानिदेशक पुर्नवास /केन्द्रीय सैनिक परिषद /रक्षा मंत्रालय प्रतिवादी बनाये गये हैं ,में वाद का प्रतिनिधित्व करना ।
14. पूर्व सैनिकों एवं परिवारिक पेंशन के लाभार्थियों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के प्रावधानों से अवगत कराना ।
15. यह सुनिश्चित करना कि निदेशक राज्य सैनिक परिषद ने प्रतिवर्ष कार्यालय का निरीक्षण कर लिया है ।
16. अध्यक्ष जिला सैनिक परिषद के निर्देशानुसार सशस्त्र सेना झण्डा दिवस हेतु धन संग्रह करना ।
17. पूर्व सैनिकों, दिवंगत सैनिक पत्नियों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अध्यक्ष जिला सैनिक परिषद के साथ माह में एक बार बैठक आयोजित कर समस्याओं से अवगत कराना व निराकरण करना ।

18. पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को सेवायोजन अवसर उपलब्ध कराने व स्वरोजगार प्रदान कराने हेतु प्रयास करना तथा तत्संबंधी प्रशिक्षण दिलाना ।
19. स्वरोजगार उद्यमों हेतु पूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैनिक पत्नियों को योजना प्रारूप निर्धारण तथा वित्तपोषण हेतु हर संभव सहायता प्रदान करना ।

शासन स्तर पर जनसंपर्क एवं सूचना अधिकारी का नाम, पद एवं अन्य तथ्य

श्री उमाशंकर सिंह,
अनुसचिव,
सैनिक कल्याण अनुभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास स्तर पर जनसंपर्क एवं सूचना अधिकारी का नाम, पद एवं अन्य तथ्य


कर्नल अजय कुमार पाण्डेय (अ0प्रा0)
उपनिदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास निदेशालय
करियप्पा भवन, कैसर बाग, लखनऊ

जिला स्तर पर जनसंपर्क एवं सूचना अधिकारी का नाम, पद एवं अन्य तथ्य

संबंधित जिले का जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ०प्र०

प्रशासनिक ढाँचा



सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, उ०प्र० का संगठनात्मक ढांचा

	<u>निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग</u>	<u>पद संख्या</u>
	निदेशक	01
क - 04	उपनिदेशक	03
ख - 01	वित्त एवं लेखाधिकारी	01
ग - 33	<u>समूह 'ग'</u>	
घ - 10	कार्यालय अधीक्षक	01
	वैयक्तिक सहायक	01
	आंशुलिपिक	04
	वरिष्ठ सहायक	03
	वरिष्ठ लिपिक	07
	वरिष्ठ लेखालिपिक	01
	अभिलेखपाल	01
	कनिष्ठ लिपिक	10
	कल्याण कार्यकर्ता	02
	वाहन चालक	03
	<u>समूह 'घ'</u>	
	जमादार अर्दली	01
	दफ्तरी	01
	चपरासी	02
	अर्दली चपरासी	04
	चौकीदार	01
	माली	01
	सफाई कर्मी	01

निदेशालय में विभाग - 7

प्रशासनिक विभाग	योजना विभाग	कल्याण विभाग	रोजगार विभाग	स्वतः रोजगार विभाग	जनगणना विभाग	वित्त एवं लेखा विभाग
--------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-------------------------

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय	
क - 67	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी 70
ख - 03	सहायक अधिकारी 19
ग - 358	केयर टेकर 01
घ - 219	वरिष्ठ लेखालिपिक 04
	वरिष्ठ लिपिक 55
	कनिष्ठ लिपिक 183
नोट:- समूह 'क' के अधिकारी, उनके नियुक्ति आदेश के अनुसार हैं ।	कल्याण कार्यकर्ता 82
	वाहन चालक 12
	चौकीदार 69
	चपरासी 67
	अर्दली 16
	माली 01
	सफाई कर्मी 66

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ०प्र०, लखनऊ
के अधिकारियों/कर्मचारियों की विवरण

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यभर ग्रहण करने की तिथि	वेतन बैंड
1	मेजर जन०वी०के० जैन(अ०प्र०)	निदेशक	12.01.2010	37400-67000
2	कर्नल ए०के० पाण्डेय(अ०प्र०)	उपनिदेशक	07.01.2010	15600-39100
3	ग्रुप कैप्टन राजेश जी श्रीवास्तव(अ०प्र०)	उप निदेशक	18.08.2010	15600-39100
4	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	वित्त एवं लेखाधिकारी	16.03.2010	15600-39100
	तृतीय श्रेणी कर्मचारी			
1	श्रीमती लीला पन्त	वैयक्तिक सहायक	10.11.1980	9300-34800
2	श्री आर० के० जयसवाल	वरिष्ठ सहायक	19.12.1970	9300-34800
3	श्री श्याम लाल यादव	वरिष्ठ सहायक	16.01.1971	9300-34800
4	श्री सी०पी० यादव	वरिष्ठ लिपिक	07.05.1973	9300-34800
5	श्री रवि कुमार	वरिष्ठ लिपिक	20.06.1974	9300-34800
6	श्री राम प्रसाद	वरिष्ठ लिपिक	24.05.1975	5200-20200
6	श्री रवि शंकर त्रिपाठी	वरिष्ठ लिपिक	01.08.1966	5200-20200
7	श्रीमती प्रभा शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	22.11.1982	5200-20200
8	श्रीमती चन्द्रानी चक्रवर्ती	आशुलिपिक	16.11.1984	5200-20200
9	श्री उमा शंकर तिवारी	आशुलिपिक	25.01.1986	5200-20200
10	श्रीमती रेखा राय	आशुलिपिक	17.07.1987	5200-20200
11	श्रीमती शिखा अब्रोल	आशुलिपिक	01.01.1997	5200-20200
12	राम शंकर यादव	आशुलिपिक	19..02.2008	5200-20200
13	श्रीमती जहिरून निसां	उर्द अनुवादक/सह वरिष्ठ लिपिक	15.02.1995	5200-20200
14	श्री लाल सिंह	वरिष्ठ लिपिक	19.10.1992	5200-20200
15	श्री जय प्रकाश लाल	कनिष्ठ लिपिक	20.07.1998	5200-20200

16	श्रीमती तारा देवी	कनिष्ठ लिपिक	16.07.2003	5200-20200
17	श्रीमती अनीता शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	27.08.2003	5200-20200
18	श्रीमती भारती तिवारी	कनिष्ठ लिपिक	04.06.2004	5200-20200
19	श्री समीर कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक	03.01.2005	5200-20200
20	श्री देवनरायण	कनिष्ठ लिपिक	18.04.2006	5200-20200
21	श्री शिव कुमार	कनिष्ठ लिपिक	26.11.2007	5200-20200
22	श्री दया शंकर प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	26.11.2007	5200-20200
23	श्री जान मोहम्मद	कल्याण कार्यकर्ता	22.06.1996	5200-20200
24	श्री अरूण कुमार मिश्रा	कल्याण कार्यकर्ता	01.06.1996	5200-20200
25	श्री मनवीर सिंह	वाहन चालक	28.08.1988	9300-34800
26	श्री नारायण प्रसाद	वाहन चालक	08.06.1990	9300-34800
27	श्री चन्द्र पाल	वाहन चालक	01.01.1997	5200-20200
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			
1	श्री डी0एन0 भगत	जमादार/अर्दली	18.01.1996	4440-7440
2	श्रीमती सीमा देवी	चपरासी	06.11.1992	4440-7440
3	श्री विजय सिंह	मली	05.11.1974	4440-7440
4	श्री अरूण कुमार पाण्डे	दफतरी	10.02.1995	4440-7440
5	श्री राकेश कुमार मिश्रा	अर्दली	15.10.1997	4440-7440
6	श्री राम फेर	अर्दली	15.10.1997	4440-7440
7	श्री गिरीश कुमार बाजपेई	चौकीदार	08.10.1997	4440-7440
8	श्री बराती लाल	अर्दली	15.10.1997	4440-7440
9	श्री विजय शंकर त्रिपाठी	चपरासी	21.07.2008	4440-7440
10	श्री सुभाष चन्द	चपरासी	02.02.1997	4440-7440
11	श्री महेश	सफाई कर्मी	03.11.1997	2550 नियत वेतन

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी(उत्तर प्रदेश)

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति तिथि
1	कर्नल कामेश्वर चौधरी(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, लखनऊ	19.07.2010
2	ले० कर्नल दया शंकर दुबे(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बाराबंकी	15.12.2008
3	श्री श्री राम चौधरी	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, उन्नाव	23.07.2003
4	मेजर राजेन्द्र सिंह(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बरेली	18.12.2008
5	मेजर रामेश्वर यादव(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, देवरिया	26.10.2009
6	विंग कमां० महेश चन्द्र पाण्डेय (अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, रामपुर	01.01.2010
7	ले० कर्नल एन०के०एस० यादव(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, गाजियाबाद	24.10.1998
8	ले० कर्नल डी० के० दास(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मेरठ	05.11.2009
9	श्री जंग बहादुर	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, फतेहपुर	07.07.2003
10	श्री श्याम लाल	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बलरामपुर	09.07.2003
11	ले० कर्नल पुष्पाधरन(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, गाजियाबाद	19.12.2008
12	मेजर विनोद कुमार सिंह(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बिजनौर	27.10.2009
13	मेजर एम०ए० अंसारी(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, वाराणसी	08.01.2001
14	ले० कर्नल मुलापुरा हबीबुल्ला(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बुलन्दशहर	19.12.2008

15	ले० कर्नल अरविन्द कुमार(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, अलीगढ	04.11.2009
16	मेजर शिव विजय सिंह(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कानपुर देहात	03.11.2009
17	कैप्टन शरद कुमार सिंह	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, कानपुर नगर	29.06.2009
18	मेजर सुरेश चन्द्र यादव(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मैनपुरी	01.01.2009
19	कर्नल उमेश चन्द्र दुबे(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, आगरा	02.02.2009
20	कनैल के० एल० पाठक(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, इलाहाबाद	01.12.2009
21	मेजर राम मोहन पाण्डेय (अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, गोरखपुर	27.10.2009
22	कर्नल सी० पी० मिश्रा(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, खीरी	04.07.2009
23	मेजर वी० एस० तोमर(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, रायबरेली	30.10.2009
24	मेजर संजय श्रीवास्तव	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मु० नगर	11.11.2009
25	कर्नल अरविन्द खरे(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सीतापुर	26.07.2010
26	विंग कमा० महेश प्रताप सिंह(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, सुल्तानपुर	27.07.2010
27	ग्रुप कैप्ट० पी०के० गुप्ता(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, शाहजहांपुर	27.07.2010
28	ले०कर्नल शिव कुमार शर्मा(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, जे०पी० नगर	
29	ले० कर्नल राम चन्द्र सिंह(अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बहराइच	
30	कनैल हृदय नारायण कौशल (अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, हरदोई	27.07.2010
31	विंग कमा० जी० चन्द्र (अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, बाँदा	
32	ग्रुप कैप्टन विजय कृष्ण दत्ता (अ०प्रा०)	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, मथुरा	29.07.2010

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	विभाग में नियुक्ति की तिथि	जनपद में तैनात होने की तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	गृह जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आगरा						
1		सहायक अधि०					
2		वरिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					आगरा
4	श्री प्रमोद कुमार	कनिष्ठ लिपिक	16.06.1964	23.06.2003	01.07.2004	30.06.2024	आगरा
5	श्री प्रशांत कुमार सिंह राठौर	कनिष्ठ लिपिक	15.08.1982	31.05.2005	31.05.2005	31.08.2042	एटा
6	श्री नरेश चन्द्र	कल्याण कार्यकर्ता	20.04.1953	01.07.1997	20.07.2006	30.04.2013	आगरा
7		कल्याण कार्यकर्ता	01.08.1951	10.04.1996	10.04.1996	31.07.2011	आगरा
8	श्री महावीर सिंह	वाहन चालक	01.07.1952	20.01.1995	अगस्त, 2007	31.07.2012	फिरोजाबाद
9		चौकीदार					निगम
10		सफाई कर्मी					निगम
2.	अलीगढ़						
1	श्री रोहताशकुमार शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	10.07.1954	08.11.1978	29.06.2005	31.07.2014	बुलंदशहर
2	श्री वीरेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.08.1954	15.01.1990	02.12.2002	31.07.2014	फिरोजाबाद
3	श्री योगेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	14.01.1965	20.04.1995	23.10.2001	31.01.2025	अलीगढ़
4		कनिष्ठ लिपिक					
5	श्री सहाबुद्दीन खॉ	कल्याण कार्यकर्ता	04.04.1968	11.08.2003	11.08.2003	30.04.2028	अलीगढ़

7	श्री संजय कुमार	चौकीदार	15.12.1981	17.07.2001	17.07.2001	31.12.2041	बिजनौर
8		चपरासी					
9		सफाई कर्मी					निगम
3.	इलाहाबाद						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री संत राम	कनिष्ठ लिपिक	12.12.1952	15.05.1996	18.06.2005	31.12.2012	इलाहाबाद
3	श्रीमती शीला कर्मकार	कनिष्ठ लिपिक	05.12.1963	25.06.1997	07.08.2002	31.12.2023	इलाहाबाद
4		कनिष्ठ लिपिक					
5		कल्याण कार्यकर्ता					
6		वाहन चालक					
7	श्री राकेश कुमार	चपरासी	04.07.1979	03.07.2000	03.07.2000	31.07.2039	झाँसी
8	श्री हरिशंकर	चौकीदार	03.01.1971	01.11.1997	01.11.1997	31.01.2031	जालौन
9	श्री दिलीप	सफाई कर्मी	12.02.1968	25.10.1986	25.10.1986	29.02.2028	इलाहाबाद
4.	अम्बेडकर नगर						
1	श्री अमर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	19.12.1953	05.01.1976	वर्ष 2005 से	31.12.2013	उन्नाव
2		कनिष्ठ लिपिक					
3	श्री जयशंकर तिवारी	चपरासी	10.07.1977	07.10.1997	07.10.1997	31.07.2037	रायबरेली
4	श्री राम नारायण	चौकीदार	28.03.1964	07.10.1997	07.10.1997	31.03.2024	अम्बेडकर नगर
5	संजीव कुमार शर्मा	अर्दली					लखनऊ
5.	आजमगढ़						
1	श्री जयशंकर राय	वरिष्ठ लिपिक	01.07.1951	19.10.1972	22.07.2003	30.06.2011	गाजीपुर
2	श्री अशोक	कनिष्ठ लिपिक					आजमगढ़
4	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह	कनिष्ठ लिपिक	17.05.1975	01.07.2003	01.07.2003	31.05.2035	देवरिया
5		कल्याण कार्यकर्ता					आजमगढ़
6	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह	चपरासी	15.07.1972	15.02.1996	15.02.1996	31.07.2032	आजमगढ़

7		चौकीदार					
8		सफाई कर्मी					
6.	<u>बदायूँ</u>						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री सविन्दर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.04.1957	17.06.1996	27.06.2005	31.03.2017	शाहजहाँपुर
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री मुनीश कुमार सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	05.06.1958	28.06.2003	28.06.2003	30.06.2018	बदायूँ
5	श्री राम औतार	चपरासी	02.01.1966	01.05.1993	06.09.2006	31.01.2026	रामपुर
6	श्री राजेश कुमार	चौकीदार			वर्ष,2006		बदायूँ
7		सफाई कर्मी					
7.	<u>बहराइच</u>						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2		कनिष्ठ लिपिक					
3		कल्याण कार्यकर्ता					
4	श्री प्रेम चन्द यादव	चपरासी	05.07.1971	13.03.1991	30.05.2005	31.07.2031	फैजाबाद
5		चौकीदार					
6	श्री किशन	सफाई कर्मी	20.05.1969	18.05.1991	18.05.1991	31.05.2039	बहराइच
8.	<u>बलिया</u>						
1	श्रीमती सुनीता सुमन	वरिष्ठ लिपिक	12.01.1971	01.04.1995	वर्ष 2007		बलिया
2	श्री मान बहादुर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	15.03.1965	15.05.1996	11.09.2002	31.03.2025	लखनऊ
3	श्री विनोद राम	कनिष्ठ लिपिक	07.07.1981	21.06.2003	21.06.2003	31.07.2041	गाजीपुर
4	श्री शिव शंकर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.01.1981	17.03.2006	17.03.2006	31.12.1941	बलिया
5		कल्याण कार्यकर्ता					
6	श्री श्याम नारायण यादव	कल्याण कार्यकर्ता	01.06.1965	27.06.2003	27.06.2003	31.05.2025	बलिया
7		चपरासी					बलिया
8	श्री रमेश	चौकीदार	01.05.1955	25.04.1977	17.10.2007	30.04.2015	मैनपुरी

9		सफाई कर्मी					
9.	बलरामपुर						
1	श्री भानु प्रसाद गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक	31.10.1982	13.06.2003	13.06.2003	31.10.2042	बलरामपुर
2		कनिष्ठ लिपिक					गोंडा
3		कल्याण कार्यकर्ता					
4		अर्दली					
5	श्री रमाकान्त त्रिपाठी	चौकीदार	05.11.1967	08.10.1997	08.08.2004	30.11.2027	रायबरेली
6	मो0 शाहीद खॉ	चपरासी	01.04.1975	08.10.1997	31.08.2007	31.03.2035	गोंडा
7		सफाई कर्मी					
10.	बाँदा						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री आनन्द कुमार	कनिष्ठ लिपिक	13.09.1972	05.09.1997	11.07.2003	30.09.2032	हमीरपुर
3	श्री कुलदीप सिंह	कनिष्ठ लिपिक	05.01.1974	20.04.1996	31.08.2008	31.01.2034	लखनऊ
4		कल्याण कार्यकर्ता					
5	श्री राजेन्द्र सिंह	चपरासी	06.07.1982	26.05.2003	26.05.2003	31.07.2042	बाँदा
6		चौकीदार					
7	श्रीमती शान्ती देवी	सफाई कर्मी	26.10.1969	18.10.1996	18.10.1986		बाँदा
11.	बाराबंकी						
1	श्री रामकिशोर	वरिष्ठ लिपिक	02.09.1956	01.02.1978	18.08.2003	30.09.2016	बाराबंकी
2		कनिष्ठ लिपिक					
3	श्रीमती ममता रानी बोस	कनिष्ठ लिपिक	27.06.1958	07.08.1987	29.07.2002	30.06.2018	लखनऊ
4	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक	30.09.1975	19.04.1996	08.08.2002	30.09.2035	लखनऊ
5	श्री राम राज पाठक	कल्याण कार्यकर्ता	01.11.1953	21.10.1997	10.07.2008	30.11.2013	लखनऊ
6	श्री राम सागर यादव	चौकीदार	01.07.1962	15.07.1996	27.07.2000	31.07.2022	बाराबंकी
7	श्री उमाकान्त	चपरासी	02.01.1968	16.02.2003	16.02.2003	31.01.2028	बाराबंकी
8	श्री मनोज	सफाई कर्मी	17.02.1972	15.11.1994	17.07.1997	29.02.2032	लखनऊ

12.	बरेली						
1		सहायक अधि.					
2		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री शिशुपाल सिंह	कनिष्ठ लिपिक	15.07.1960	11.07.2003	04.07.2008	31.07.2020	बदायुं
3	श्री दीपचन्द जोशी	कनिष्ठ लिपिक	15.01.1970	21.06.1997	वर्ष 2008 से	31.01.2030	
4	कु0 प्रभा कुमारी	कनिष्ठ लिपिक	10.12.1974	25.06.2003	25.06.2003	31.12.2034	बरेली
5	श्री विनोद कुमार पान्डे	कनिष्ठ लिपिक	10.01.1960	25.04.1996	08.06.2005	31.01.2020	गाजीपुर
6	श्री राममूर्ति सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	01.01.1963	18.07.2003	सितम्बर,07		मैनपुरी
7		वाहन चालक					
8	श्री लियाकत अली	चपरासी	12.03.1972	30.08.1990	30.08.1990	31.03.2032	बरेली
9	श्री आशे बाबू	सफाई कर्मी	17.04.1972	02.03.1998	02.03.1998	30.04.2030	बरेली
10	श्री राम सागर	चौकीदार	04.12.1961	01.10.1992	वर्ष 2008	31.12.2011	
13.	बस्ती						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री जटाशंकर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.03.1954	05.04.1995	06.08.2007	06.08.2007	बस्ती
3	श्री भद्रसेन सिंह	कनिष्ठ लिपिक	05.12.1952	06.05.1996	24.08.2003	31.12.2012	संत कबीर नगर
4	श्री राजकुमार मिश्र	कनिष्ठ लिपिक	01.01.1976	03.02.1998	21.05.2004	31.01.2036	फैजाबाद
5		कल्याण कार्यकर्ता					
6		चपरासी					
7	श्री मनोहर लाल	चौकीदार	24.01.1952	22.09.1983	21.04.1998	31.01.2012	सीतापुर
8		सफाई कर्मी					
14.	बिजनौर						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2		लेखालिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					

4		कनिष्ठ लिपिक					
5	श्री तिलक सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	01.08.1951	10.04.1996	वर्ष 2007	31.08.2011	आगरा
6	श्री रामलाल	चपरासी	09.07.1962	20.02.1982	23.08.2000	31.07.2022	नेपाल
7		चौकीदार					
8	श्री राजवीर सिंह	सफाई कर्मी	07.07.1978	11.07.1997	11.07.1997	31.07.2038	बिजनौर
9		अर्दली					
15.	बुलन्दशहर						
1		सहायक अधिकारी					
2		वरिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री रामलाल	कनिष्ठ लिपिक	01.07.1964	26.07.2003	26.07.2003	31.07.2024	मेरठ
5	श्री खेम चन्द्र	कनिष्ठ लिपिक	10.10.1974	26.07.2003	26.07.2003	31.10.2034	बुलंदशहर
6	श्री राघवेन्द्र सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.01.1968	21.01.1999	वर्ष 2007	29.01.2028	आगरा
7		कनिष्ठ लिपिक					
8		चौकीदार					
9		कल्याण कार्यकर्ता					
10		कल्याण कार्यकर्ता					
11	श्री जितेन्द्र सिंह	चपरासी	04.03.1972	14.03.1996	14.03.1996	31.03.2032	बुलंदशहर
12		सफाई कर्मी					
16.	चन्दौली						
1	श्री अनिल कुमार	कनिष्ठ लिपिक	05.06.1971	20.08.2003	23.08.2004	30.06.1931	गाजीपुर
2	विजय बहादुर राम	कनिष्ठ लिपिक	25.12.1954	03.04.1995	वर्ष 2007	31.12.2014	गाजीपुर
3	श्री गोरखनाथ सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	01.05.1963	01.07.2003	13.08.2004	30.04.2023	चन्दौली
4		चौकीदार					
5		अर्दली					
6	श्री लोलारक प्रसाद	चपरासी	01.01.1968	01.07.2003	13.08.2004	31.12.2027	चन्दौली

17.	चित्रकूट						
1	श्री रामलखन सिंह गौड़	कनिष्ठ लिपिक	11.02.1954	02.02.1988	30.07.2003	28.02.2014	बाँदा
2		कनिष्ठ लिपिक					
3		कल्याण कार्यकर्ता					
4		अर्दली					
5	श्री मानसिंह	चपरासी	16.07.1975	18.10.1997	18.10.1997	31.07.2035	जालौन
6	श्री भगवान दास	चौकीदार	15.05.1975	21.10.1997	21.10.1997	31.07.2035	जालौन
18.	देवरिया						
1	श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव	वरिष्ठ लिपिक	10.07.1953	29.06.1979	08.07.2004	31.07.2013	देवरिया
2	श्री ओम प्रकाश सिंह	कनिष्ठ लिपिक	15.03.1972	18.09.1997	08.07.2008	31.03.2032	देवरिया
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री रामनाथ	कनिष्ठ लिपिक	06.05.1983	27.12.2006	01.08.2007	31.05.2043	गोरखपुर
5	श्री उदय प्रताप नारायण सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	01.10.1959	01.12.1999	01.07.2004	30.09.2019	देवरिया
6	श्री जफर मशरूर	चपरासी	23.03.1959	01.01.1980	10.05.2006	31.03.2019	देवरिया
7	श्री मुनेश्वर चौहान	चौकीदार	10.03.1962	02.04.1983	28.07.2006	31.03.2022	कुशीनगर
8	श्री सागर प्रसाद	सफाई कर्मी	01.07.1968	11.03.1987	11.03.1987	30.06.2028	देवरिया
19.	एटा						
1		सहायक अधिकारी					
2		वरिष्ठ लिपिक					
3	श्री धर्मदेव सिंह यादव	कनिष्ठ लिपिक	03.07.1964	19.02.2005	27.10.2005	31.07.2024	गाजीपुर
4	श्री देवेन्द्र नाथ गुप्त	कनिष्ठ लिपिक	17.07.1965	01.04.1995	17.07.2008	30.07.2025	कुशीनगर
5	श्री त्रिवेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक	24.08.1976	23.06.2003	23.06.2003	31.08.2036	एटा
6	श्री रामसिंह चन्देल	कल्याण कार्यकर्ता	31.12.1958	27.06.1997	17.07.2006	31.12.2018	लखनऊ
7		चपरासी					
8	श्री वाहिद खॉ	चौकीदार	15.01.1961	07.05.1988	07.05.1988	31.01.2021	एटा

9		सफाई कर्मी					
20.	इटवा						
1	श्री नरेश चन्द्र टमटा	सहायक अधि.	01.05.1952	08.08.2001	20.07.2004	31.05.2012	लखनऊ
2	श्री एल.आर.नागर	वरिष्ठ लिपिक	02.03.1952	06.02.1985	23.07.2003	31.03.2012	इटवा
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री शिवकुमार कटारे	कनिष्ठ लिपिक	10.07.1967	14.07.1997	21.06.2004	31.07.2027	जालौन
5	श्री कुंवर पाल सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	17.07.1953	12.11.1999	15.06.2005	31.07.2013	कानपुर देहात
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7	श्री विवेक कुमार	चपरासी	08.08.1983	26.02.2003	26.02.2003	31.08.2043	इटवा
8	श्री रमेश बाबू	चौकीदार	07.12.1959	02.02.1988	02.02.1988	31.12.2019	औरैया
9	श्रीमती नन्ही देवी	सफाई कर्मी	24.12.1952	18.10.1986	18.10.1986	31.12.2012	इटवा
21.	फैजाबाद						
1		सहायक अधिकारी					
2		वरिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री हरिनारायण यादव	कनिष्ठ लिपिक	10.07.1971	02.02.1991	24.05.2004	31.07.2031	फैजाबाद
5	श्री जगदीश प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	10.12.1969	18.06.2003	18.06.2003	31.12.2029	फैजाबाद
6	श्री वासुदेव	कनिष्ठ लिपिक	01.01.1972	18.06.2003	18.06.2003	31.12.2031	फैजाबाद
7		कल्याण कार्यकर्ता					
8	श्री जय प्रकाश	चपरासी	12.11.1965	12.01.1993	15.12.1994	30.11.2025	बाराबंकी
9	श्री शिव कुमार	चौकीदार	23.04.1982	28.09.2000	28.06.2004	30.04.2042	फैजाबाद
10	श्री संजीव शर्मा	अर्दली	30.06.1977	09.10.1997	01.11.1997	30.06.2037	लखनऊ
11	श्री अर्जुन	सफाई कर्मी	01.07.1967	20.10.1986	20.10.1986	31.12.2026	बहराइच
22.	फतेहगढ़						
1		सहायक अधिकारी					
2	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	वरिष्ठ लिपिक	19.08.1959	05.03.1979	01.05.2006	31.08.2019	फर्रूखाबाद

3		कनिष्ठ लिपिक					
4		कनिष्ठ लिपिक					
5	श्रीमती रेखा बाजपेई	कनिष्ठ लिपिक	05.05.1973	22.07.1997	06.10.2005	31.05.2033	इलाहाबाद
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7		चपरासी					
8	श्री जयसिंह	चौकीदार	14.09.1964	01.07.1991	01.07.1991	30.09.2024	फतेहगढ़
9		सफाई कर्मी					
23.	फतेहपुर						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2		कनिष्ठ लिपिक					
3	श्री रियाज अहमद	कनिष्ठ लिपिक	12.11.1971	24.06.1997	08.07.2008	30.11.2031	रायबरेली
4	श्री सैयद गय्यूर मोईन जैदी	कनिष्ठ लिपिक	01.03.1969	25.07.1992	22.07.2003	28.02.2029	फतेहपुर
5	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	26.06.1951	06.09.1997	10.08.2007	30.06.2011	रायबरेली
6	श्री भूरा प्रसाद	चौकीदार	10.11.1965	05.10.1993	20.05.2004	30.11.2025	बाँदा
7	श्री राकेश कुमार	चपरासी	14.08.1972	18.10.1997	15.02.2005	31.08.2032	रायबरेली
8	श्री रमेश चन्द्र	सफाई कर्मी	02.04.1957	08.03.1976	08.03.1976	30.04.2017	फतेहपुर
24.	फिरोजाबाद						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री अरूण कुमार सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.01.1964	10.08.1987	11.07.2003	31.12.2024	जालौन
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री वीरेन्द्र सिंह वघेल	कल्याण कार्यकर्ता	15.09.1960	24.06.2003	24.06.2003	30.09.2020	फिरोजाबाद
5	श्री कुंवर पाल सिंह	चपरासी	10.10.1952	06.05.1991	06.05.1991	31.10.2012	फिरोजाबाद
6	श्री मो0 लुकमान	चौकीदार	01.02.1968	27.10.1997	08.08.2004	31.01.2028	जालौन
7	श्री रमेश चन्द्र	सफाई कर्मी	31.01.1955	29.04.1991	29.04.1991	31.01.2025	आगरा
25.	गौतमबुद्ध नगर						
1	श्री ओमप्रकाश मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक	10.01.1969	17.07.1987	11.09.2001	31.01.2029	प्रतापगढ़

2	श्री राम अवध सिंह	कनिष्ठ लिपिक	24.05.1975	02.09.1997	05.03.2002	30.09.2035	सिद्धार्थनगर
3	श्री विनोद कुमार	कनिष्ठ लिपिक	25.12.1972	22.04.1993	जुलाई 2008	31.12.2032	
4	श्री राजकुमार	अर्दली	04.10.1967	20.10.1997	20.10.1997	31.10.2027	नई दिल्ली
5		सफाई कर्मी					
6	श्री राजेन्द्र कुमार	चपरासी	28.12.1955	01.05.1993	वर्ष 2008	31.12.2015	मेरठ
7		चौकीदार					
26.	गाजियाबाद						
1		सहायक अधिकारी					
2	श्री आलोक कुमार शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	17.01.1955	17.04.1978	11.07.2004	31.01.2015	मुजफ्फरनगर
3	श्री रूस्तम सिंह	कनिष्ठ लिपिक	20.07.1952	25.02.1986	अगस्त,2007	31.07.2012	गाजियाबाद
4		कनिष्ठ लिपिक					
5		कनिष्ठ लिपिक					
6	श्री जगदीश प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	11.12.1965	08.07.2003	08.07.2003	31.12.2025	गाजियाबाद
7	श्री रतन सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	01.07.1951	26.06.1997	13.08.2007	30.06.2011	गाजियाबाद
8		कल्याण कार्यकर्ता					
9		चपरासी					
10	श्री वीरेन्द्र सिंह	चौकीदार					
11	श्री राकेश	सफाई कर्मी	21.05.1977	01.11.1997	वर्ष 2008	31.05.2037	गौतमबुद्ध नगर
27.	गाजीपुर						
1	श्री बलिराज राम	सहायक अधि.	01.01.1967	25.07.2003	25.07.2003	31.12.2036	गाजीपुर
2		वरिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	जितेन्द्र सिंह यादव	कनिष्ठ लिपिक	02.07.1981	22.08.2006	22.08.2006	31.07.2041	गाजीपुर
5	श्री मनोज कुमार	कनिष्ठ लिपिक	03.02.1972	15.02.1993	25.02.2004	28.02.2032	गाजीपुर
6	श्री शशिकान्त	कनिष्ठ लिपिक	10.07.1977	09.07.2003	09.07.2003	31.07.1937	गाजीपुर

7	श्री बालकृष्ण सिंह यादव	कल्याण कार्यकर्ता	10.05.1966	12.07.2003	12.07.2003	21.05.1926	गाजीपुर
8		कल्याण कार्यकर्ता					
9		वाहन चालक					
10	श्रीमती फुलवासी देवी	चपरासी	01.10.1958	01.10.1993	01.10.1993	30.10.1918	गाजीपुर
11	श्री सूरज प्रसाद	सफाई कर्मी	01.08.1968	21.10.1986	21.10.1986	31.07.1928	गाजीपुर
12	श्री हीरालाल	चौकीदार	25.07.1982	26.07.2001	18.08.2003	31.07.1942	गाजीपुर
		सफाई कर्मी					
28.	गोंडा						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्रीमती सुमन लता मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक	21.01.1974	31.03.1995	31.03.1995	31.01.2034	गोंडा
3	श्री रामकृष्ण त्रिपाठी	कनिष्ठ लिपिक	01.07.1972	06.09.1997	08.07.2008	30.06.2032	बस्ती
	श्री हेमन्त सिंह	कनिष्ठ लिपिक	15.07.1985	06.02.2006	वर्ष 2007		
4		कल्याण कार्यकर्ता					
5	श्री इन्द्रजीत	चपरासी	15.03.1974	28.08.1992	जुलाई 2007	31.03.2034	बस्ती
6	श्री जगदीश प्रसाद	चौकीदार	15.05.1966	26.02.1996	26.02.1996	31.05.2027	गोंडा
7	श्री रमेश कुमार	सफाई कर्मी	05.11.1953	28.02.1987	09.07.1997	30.11.2013	लखनऊ
29.	गोरखपुर						
1		वरिष्ठ लिपिक					देवरिया
2	श्रीमती उषा देवी	कनिष्ठ लिपिक	03.08.1963	08.09.1997	18.03.2006	30.08.2023	देवरिया
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री सुधीर कुमार	कनिष्ठ लिपिक	26.07.1978	01.07.2003	जुलाई,2008	31.07.2038	देवरिया
5	श्री राजन कुमार गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक	03.07.1977	24.06.2003	24.06.2003	31.07.2037	गोरखपुर
6		वाहन चालक					
7	श्री जवाहर लाल	कल्याण कार्यकर्ता	01.01.1963	24.06.2003	24.06.2003	31.12.2022	देवरिया
8		चौकीदार					निगम
9	श्री रामाज्ञा प्रसाद	अर्दली	01.01.1968	09.10.1997	18.03.2006	31.12.2027	देवरिया

10		सफाई कर्मी					
30.	हमीरपुर						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री विनोद कुमार सिंह	कनिष्ठ लिपिक	05.06.1984	09.04.2005	वर्ष 2007	31.6.2044	हमीरपुर
3	चन्द्रभान सिंह	कनिष्ठ लिपिक	11.08.1969	04.09.1997	वर्ष 2007	31.08.2029	
4	श्री मंगल सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	08.06.1953	17.11.1999	13.06.2005	30.06.2013	जालौन
5	श्री विनोद कुमार	चपरासी	15.03.1974	01.07.1996	01.07.1996	31.03.2034	उन्नाव
6	श्री राम मोहन	चौकीदार	05.04.1973	24.10.1997	14.06.2005	30.04.2033	जालौन
7		सफाई कर्मी					
31.	हरदोई						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री अभय सिंह	कनिष्ठ लिपिक	29.04.1970	19.06.1995	19.06.1995	30.04.2030	हरदोई
3	श्री मदन मुरारी	कनिष्ठ लिपिक	10.12.1976	01.07.1997	10.08.2000	31.12.1936	हरदोई
4	श्री अजय कुमार सिंह	कनिष्ठ लिपिक	15.03.1975	01.11.1997	19.06.2003	31.03.2035	हरदोई
5	श्री पूरनलाल	कल्याण कार्यकर्ता	09.02.1952	07.07.1997	18.07.2003	28.02.2012	हरदोई
6	श्रीमती स्नेहलता	चपरासी	01.07.1975	30.10.2002	30.10.2002	31.07.2035	हरदोई
7	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	चौकीदार					निगम से
8	श्री लाखन	सफाई कर्मी					निगम से
32.	हाथरस (महामायानगर)						
1	श्री सुखवीर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	02.08.1972	06.09.1997	23.07.2004	31.08.2032	जालौन
2		कनिष्ठ लिपिक					
3	श्री रनवीर सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	20.05.1963	22.11.1999	07.09.2000	31.05.2023	मैनपुरी
4		चौकीदार					
5		अर्दली					
6		सफाई कर्मी					
7	श्री वीर सिंह पाल	चपरासी	15.07.1971	20.10.1997	20.10.1997	31.07.2033	जालौन

33.	जालौन						
1	श्री राधेश्याम पाल	सहायक अधि.	10.07.1960	01.12.1999	07.07.2008	31.07.2020	कानपुर नगर
2		वरिष्ठ लिपिक					
3	श्री संदीप कुमार तरसौलिया	कनिष्ठ लिपिक	28.07.1977	07.07.1997	01.08.2003	01.08.2037	जालौन
4	श्री लल्लू राम	कनिष्ठ लिपिक	05.09.1965	06.09.1997	01.08.2002	01.10.2025	जालौन
5		कल्याण कार्यकर्ता					
6	श्रीमती मुन्नी देवी	चपरासी	10.07.1975	01.08.2005	01.07.2006	01.09.2035	जालौन
7	श्री राजेश सिंह	चौकीदार	04.06.1972	08.06.1993	08.06.1993	01.07.2032	जालौन
8	श्रीमती राजाबेटी	सफाई कर्मी	17.01.1955	17.01.1987	17.01.1987	01.02.2015	जालौन
34.	जौनपुर						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2		कनिष्ठ लिपिक					
3	श्री सुनील कुमार दुवे	कनिष्ठ लिपिक	02.03.1977	19.05.1998	19.05.1998	31.03.2037	जौनपुर
4	श्री हवीबुर्रहमान	कनिष्ठ लिपिक	01.07.1976	01.08.2003	01.08.2003	31.07.2036	गाजीपुर
5	श्री सोमप्रकाश	कल्याण कार्यकर्ता	21.08.1966	06.08.2003	06.08.2003	31.08.2026	वाराणसी
6	श्री शम्भू राम	चपरासी	01.01.1957	01.01.1987	21.06.2005	31.01.2017	आजमगढ़
7	श्री राजेश कुमार तिवारी	चौकीदार	04.03.1973	13.10.1997	17.03.1998	31.03.2033	उन्नाव
8	श्री मो0 असलम	सफाई कर्मी	02.04.1974	17.05.1993	17.05.1993	30.04.2034	जौनपुर
35.	झाँसी						
1	श्री अजय पाल यादव	सहायक अधि	01.01.1955	18.11.1999	18.11.1999	31.12.2014	कानपुर
2		वरिष्ठ लिपिक					
3	श्री राजेश पाल	कनिष्ठ लिपिक	28.06.1967	27.06.1997	11.07.2003	30.06.2027	जालौन
	श्री अहिवरण सिंह पाल	कनिष्ठ लिपिक	20.10.1969	05.09.1997	वर्ष 2007	31.10.2029	जालौन
4		वाहन चालक					
5		कल्याण कार्यकर्ता					

6	श्री कालू राम राणा	चपरासी	28.04.1955	20.06.1979	20.06.1979	30.04.2015	झाँसी
7	श्री केशव नन्दन	चौकीदार	01.07.1972	03.11.1997	04.06.2005	30.06.2032	जालौन
8	श्री विनोद कुमार	सफाई कर्मी	10.02.1981	01.07.2002	01.07.2002	28.02.2041	झाँसी
36.	ज्योतिबाफूले नगर						
1	श्री चमन सिंह	कनिष्ठ लिपिक	07.02.1978	28.09.2000	04.06.2005	28.02.2038	जे0पी0 नगर
2		कल्याण कार्यकर्ता					
3		चौकीदार					
4	श्री अरविन्द कुमार	अर्दली	20.05.1979	1997 से	09.06.2005	31.05.2039	उन्नाव
5	श्री पवन कुमार	चपरासी	12.05.1975	17.01.1996	01.06.1999		बुलंदशहर
37.	कानपुर देहात						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2		लेखा लिपिक					
3	श्री फूलसिंह पाल	कनिष्ठ लिपिक	01.12.1973	05.09.1997	08.06.2005	30.11.2033	जालौन
4	श्री विनोदकुमार सेन	कनिष्ठ लिपिक	01.03.1973	12.09.1997	02.08.2005	28.02.2033	लखनऊ
5	श्री मुसद्दी लाल शर्मा	कल्याण कार्यकर्ता	18.10.1954	30.04.1996	23.07.2002	31.10.2014	रायबरेली
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7	छुन्नी लाल	चपरासी					उन्नाव
8	श्री भगवान दास	चौकीदार	15.02.1961	23.10.1997	05.03.2002	28.02.2021	जालौन
9		सफाई कर्मी					
38.	कानपुर नगर						
1	श्री हरि लाल प्रसाद	सहायक अधि.	01.07.1951	16.08.1997	31.07.2007	30.06.2010	आजमगढ
2	श्री श्रीकांत शुक्ला	वरिष्ठ लिपिक	03.06.1958	03.01.1983	16.09.2006	30.06.2018	उन्नाव
3	श्री सुभाष चन्द्र गौड़	कनिष्ठ लिपिक	20.09.1960	16.07.1983	10.06.2005	30.09.2020	उन्नाव
4	श्री जटाशंकर तिवारी	कनिष्ठ लिपिक	25.01.1953	16.01.1990	15.07.2008	31.01.2013	उन्नाव
5	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	कनिष्ठ लिपिक	10.03.1969	24.06.1999	11.08.2005	31.03.2029	उन्नाव
6	श्रीमती पूर्णा देवी गेरा	कनिष्ठ लिपिक	07.06.1953	27.04.2000	20.08.2002	30.06.2013	कानपुर

							नगर
7	श्री संतोष सिंह भदौरिया	कल्याण कार्यकर्ता	16.05.1953	03.12.1999	29.07.2006	31.05.2013	कानपुर नगर
8	श्री अजयकुमार पाण्डेय	कल्याण कार्यकर्ता	12.11.1960	08.09.1997	17.06.2004	30.11.2020	लखनऊ
9	श्री स्नेह सिंह	वाहन चालक	14.07.1957	31.05.1990	18.06.2005	31.07.2017	फतेहपुर
10	श्री उत्तम कुमार	चपरासी	04.01.1974	17.10.1997	04.07.2008	31.01.2034	रायबरेली
11	श्री विनोद कुमार	चौकीदार	18.12.1977	18.12.1995	23.06.2005	31.12.2037	सीतापुर
12	श्री राकेश कुमार	सफाई कर्मी	05.08.1967	21.11.1986	21.11.1986	31.08.2027	इटवा
39.	कौशाम्बी						
1	श्री शम्भू नाथ	कनिष्ठ लिपिक	10.05.1966	26.06.1997	20.07.2008	31.05.2026	इलाहाबाद
2	श्री मोहम्मद अतीक	कल्याण कार्यकर्ता	02.05.1959	22.09.1997	27.07.1998	31.05.2019	उन्नाव
3	श्री श्रीधर मिश्र	चपरासी	01.06.1968	13.10.1997	13.10.1997	30.06.2028	प्रतापगढ़
4		चौकीदार					
5		अर्दली					
40.	खीरी						
1	श्री बी०पी० बाजपेई	वरिष्ठ लिपिक	31.01.1951	25.09.1976	15.07.2005	31.01.2011	खीरी
2		कनिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4		कनिष्ठ लिपिक					
5	श्री सुखदेव सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	02.03.1961	01.07.1997	15.06.2004	31.03.2021	खीरी
6	श्री नवाब अली	चपरासी	04.03.1961	31.03.1987	31.03.1987	31.03.2021	खीरी
7	श्री सुन्दर लाल	चौकीदार	10.07.1952	20.09.1980	20.09.1980	31.07.2012	खीरी
8		चौकीदार					
9	श्री दिलीप कुमार	सफाई कर्मी	10.05.1975	21.10.1997	28.10.1997	31.05.2035	लखनऊ
41.	कुशीनगर						
1		वरिष्ठ लिपिक					

2	श्री राकेश भारती	कनिष्ठ लिपिक	14.06.1974	23.06.1997	04.07.2008	30.06.2034	देवरिया
3	श्री प्रभाकर नाथ तिवारी	कनिष्ठ लिपिक					
4		कनिष्ठ लिपिक					
5	श्री ओमप्रकाश राजभर	कल्याण कार्यकर्ता	01.08.1954	15.04.1996	20.07.2006	30.08.2014	गोरखपुर
6	श्री करुणाकर मिश्र	चपरासी	07.06.1973	06.06.1990	वर्ष 2008	30.06.2033	गोरखपुर
7	श्री श्रीकृष्ण यादव	चौकीदार	08.12.1952	01.07.1996	19.07.2006	31.10.2012	कुशीनगर
8		सफाई कर्मी					निगम
42.	<u>लखनऊ</u>						
1	श्री सुभाष मिश्रा	सहायक अधि.	18.06.1952	01.07.1997	09.02.2007	30.06.2012	कुशीनगर
2		वरिष्ठ लिपिक					
3	श्री घनश्याम मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक	13.04.1973	01.05.1995	31.07.2007	30.04.2033	लखनऊ
4		अवधाता					
5	श्री राजेन्द्र कुमार सैनी	कनिष्ठ लिपिक	01.07.1975	25.06.1997	20.07.2002	30.06.2035	लखनऊ
6	कुमारी राजकुमारी वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	12.06.1975	03.07.1997	03.07.1997	30.06.2035	लखनऊ
7	श्रीमती नीरू कपूर	कनिष्ठ लिपिक	08.06.1976	01.07.1997	28.08.2003	30.06.2036	लखनऊ
8	श्री रमेश चन्द्र आर्या	कल्याण कार्यकर्ता	20.05.1951	30.11.1990	29.06.2002	31.05.2011	हरदोई
9	श्री राजेश कुमार	वाहन चालक	30.12.1972	03.01.1997	अगस्त,2007	31.12.2032	लखनऊ
10	श्री राम सेवक	सफाई कर्मी	11.08.1965	03.11.1986	06.07.1993	31.08.2025	लखनऊ
11		सफाई कर्मी					
12	श्री मेहताब अली	चौकीदार	01.01.1975	01.05.1997	18.05.2005	31.01.2035	हरदोई
13	श्री राकेश कुमार तिवारी	चौकीदार	05.01.1966	13.10.1997	14.07.1998	01.02.2026	उन्नाव
14	श्री राजनारायण पाल	अर्दली			02.07.2008		
15		माली					
43.	<u>महाराजगंज</u>						
1		वरिष्ठ लिपिक					

2	श्री राजेन्द्र प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	01.01.1965	01.01.1997	01.8.2007	31.12.2064	गोरखपुर
3		कल्याण कार्यकर्ता					
4	श्री रामदरस	चपरासी	01.07.1958	04.02.1981	21.07.1999	01.07.2018	गोरखपुर
5	श्री रज्जब अली	सफाई कर्मी	12.12.1971	03.02.1993	03.02.1993	31.12.2031	महाराजगंज
6	श्री राजेश कुमार गुप्त	चौकीदार	15.02.1977	13.10.1997	07.08.2006	15.02.2037	कुशीनगर
44.	महोबा						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री कुवंर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	08.07.1974	04.07.1997	01.08.2000	31.07.2034	जालौन
3	श्री सुनील कुमार गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक	30.06.1971	11.07.1997	01.07.2003	31.07.2031	जालौन
4	श्री राम किशुन	कनिष्ठ लिपिक	10.02.1972	01.08.1997	11.07.2008		जालौन
5		कल्याण कार्यकर्ता					
6	श्री माखनलाल	चपरासी	01.08.1963	19.12.1985	01.03.1996	31.07.2023	महोबा
7	श्री भोगीलाल	चौकीदार	15.06.1968	08.10.1997	01.07.2002	30.06.2028	जालौन
8		सफाई कर्मी					
45.	मैनपुरी						
1		सहायक अधि.					
2		वरिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री ईश्वर सिंह	कनिष्ठ लिपिक					
5		कनिष्ठ लिपिक					
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7		कल्याण कार्यकर्ता					
8		चौकीदार					निगम से
9		चपरासी					
10		सफाई कर्मी					निगम से

46.	मथुरा						
1	श्री मोहन लाल ग्यारे	वरिष्ठ लिपिक	15.02.1972	04.07.1997	10.06.2003	28.02.2032	दुर्ग (एम0पी0)
2		कनिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री मनोज कुलश्रेष्ठ	कनिष्ठ लिपिक					
5	श्री विष्णुप्रकाश	कनिष्ठ लिपिक	27.07.1983	23.06.2003	23.06.2003	31.07.2043	मथुरा
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7	श्री राम कुमार यादव	चपरासी					
8	श्री अनिल कुमार	चौकीदार					
9	श्रीमती सुमनलता	सफाई कर्मी	25.12.1964	01.11.1986	01.11.1986	31.12.2024	मथुरा
47.	मऊ						
1		लेखा लिपिक					
2	श्री काशीनाथ	कनिष्ठ लिपिक	01.06.1974	17.10.1997	27.01.2001	30.06.2034	देवरिया
3		कल्याण कार्यकर्ता					
4		चपरासी					
5	श्री वीरेन्द्र यादव	चौकीदार	01.05.1970	01.09.1992	01.09.1992	30.05.2030	मऊ
6	श्री इरफान अहमद	सफाई कर्मी	24.08.1972	01.10.1991	01.10.1991	31.08.2032	मऊ
48.	मेरठ						
1		सहा0 अधि0					
2	श्री संतोष कुमार	वरिष्ठ लिपिक	10.09.1958	10.12.1979	वर्ष 2008	30.09.2018	
3	श्री सुशील कुमार	कनिष्ठ लिपिक	03.03.1963	08.07.1985	09.08.2007	31.03.2023	मुजफ्फरनगर
4	श्री पवन कुमार	कनिष्ठ लिपिक	21.09.1971	01.07.2003	01.07.2003	30.09.2031	मेरठ
5		कनिष्ठ लिपिक					
6		कनिष्ठ लिपिक					
7		कल्याण कार्यकर्ता					

8		कल्याण कार्यकर्ता					
9	श्री बीरसिंह	चपरासी	05.07.1959	17.10.1997	वर्ष 2008	31.05.2019	गौतमबुद्ध नगर
10		चौकीदार					
11		वाहन चालक					
12	श्री श्रीपाल	सफाई कर्मी	01.07.1951	12.02.1971	12.02.1971	30.06.2011	मेरठ
49.	मिर्जापुर						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री गिरीशचन्द्र पान्डे	कनिष्ठ लिपिक	05.10.1957	28.04.1983	वर्ष 2005	31.10.2017	इलाहाबाद
3	श्री दशवंत सिंह	कनिष्ठ लिपिक	09.07.1984	20.02.2006	22.10.2007	31.07.2044	मिर्जापुर
4	श्री जे.एल.विश्वकर्मा	कल्याण कार्यकर्ता	01.06.1958	26.06.2003	26.06.2003	30.06.2018	मिर्जापुर
5	श्री ताराशंकर दूवे	चपरासी	22.08.1970	23.03.1997	23.03.1997	31.08.2030	मिर्जापुर
6	श्री फौजदार सिंह	चौकीदार	13.04.1958	22.08.1987	22.08.1987	30.04.2018	मिर्जापुर
7	श्रीमती आसरा वेगम	सफाई कर्मी	10.07.1956	01.03.1987	01.03.1987	31.07.2016	मिर्जापुर
50.	मुरादाबाद						
1		सहायक अधि.					
2		वरिष्ठ लिपिक					
3	श्री रविकुमार मिश्र	कनिष्ठ लिपिक	10.06.1979	29.06.1999	04.06.2005	30.06.2039	बरेली
4		कनिष्ठ लिपिक					
5		कनिष्ठ लिपिक					
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7	श्री राजकिशोर	चपरासी	05.12.1974	02.04.1994	24.08.2002	31.12.2034	मुरादाबाद
8	श्री चन्द्रवीर सिंह	चौकीदार	01.08.1974	01.02.1997	01.02.1997	31.08.2034	बिजनौर
9	श्री अशोक	सफाई कर्मी	15.06.1978	15.03.1997	15.03.1997	30.06.2038	रामपुर
51.	मुजफ्फरनगर						
1		वरिष्ठ लिपिक					

2	श्री संत राम	कनिष्ठ लिपिक	01.07.1962	13.07.1983	15.07.2008	31.07.2022	सहारनपुर
3	कुमारी रेखा रानी	कनिष्ठ लिपिक	10.01.1974	02.07.2003	02.07.2003	31.01.2034	मेरठ
4		कनिष्ठ लिपिक					
5		कल्याण कार्यकर्ता					
6	सुरेश कुमार शर्मा	चपरासी	04.05.1960	01.11.1990	02.07.2008	31.05.2020	हरिद्वार
7	श्री उदय प्रकाश भाष्कर	चौकीदार	07.07.1974	15.10.1997	08.06.2005	31.07.2034	जालौन
8	श्री अजीत कुमार	सफाई कर्मी	05.03.1966	01.05.1993	01.05.1993	31.03.2026	मुजफ्फरनगर
52.	पीलीभीत						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2		लेखा लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री नरेश कुमार	कनिष्ठ लिपिक	03.04.1971	10.02.1987	21.11.2002	30.04.2031	मुरादाबाद
5		कल्याण कार्यकर्ता					
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7	श्री दामोदर सिंह	चपरासी	24.02.1952	03.10.1978	01.09.1993	28.02.2012	मथुरा
8		अर्दली					
9		चौकीदार					
10		सफाई कर्मी					
53.	प्रतापगढ़						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री आनन्द सिंह	कनिष्ठ लिपिक	06.04.1973	14.05.2007	14.05.2007	30.04.2033	रायबरेली
3	कमल कान्त सिंह	कनिष्ठ लिपिक	17.07.1985	25.03.2008	25.03.2008		रायबरेली
4	श्री प्रेम शंकर	कल्याण कार्यकर्ता	21.03.1956	20.11.1999	04.07.2008	31.03.2016	रायबरेली
5		कनिष्ठ लिपिक					
6		चपरासी					
7	श्री सूरज लाल	चौकीदार	15.04.1970	15.11.1995	07.09.2001	30.04.2030	सुल्तानपुर

8	श्री राम औतार	सफाई कर्मी	15.01.1960	23.10.1986	23.10.1986	31.01.2020	प्रतापगढ़
54.	रायबरेली						
1		सहायक अधि.					लखनऊ
2	श्री ओम प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ लिपिक	10.02.1952	11.11.1974	08.06.2005	28.02.2012	रायबरेली
3	श्री सूर्यपाल सिंह	कनिष्ठ लिपिक	10.01.1961	02.03.1987	09.08.2007	31.01.2021	रायबरेली
4	श्री महेन्द्र बहादुर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.01.1973	19.04.1996	24.07.1999	31.01.2033	रायबरेली
5	श्री हंस बहादुर सिंह	कनिष्ठ लिपिक	10.07.1951	07.11.1974	02.08.2004	31.07.2011	रायबरेली
6	श्री राममोहन मिश्रा	कल्याण कार्यकर्ता	20.07.1964	05.07.1997	31.07.2007	31.07.2024	लखनऊ
7	श्री अनिल कुमार सिंह	चपरासी	10.10.1970	21.07.1998	21.07.1998	31.10.2030	रायबरेली
8	श्री रामू	चौकीदार	08.10.1957	22.08.1992	23.08.2000	31.10.2017	लखनऊ
9		सफाई कर्मी					निगम
55.	रामपुर						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री सुनील कुमार	कनिष्ठ लिपिक	02.08.1973	17.05.2007	17.05.2007	31.05.2033	सीतापुर
3		कनिष्ठ लिपिक					
		कनिष्ठ लिपिक					
4		कल्याण कार्यकर्ता					
5	श्रीमती गीता देवी	चपरासी	01.07.1978	25.08.2006	28.08.2006	31.06.1938	रामपुर
6		चौकीदार					निगम
7	श्रीमती संतोष	सफाई कर्मी	07.06.1971	04.06.1993	04.06.1993	30.06.2028	रामपुर
56.	शाहजहाँपुर						
1		सहायक अधिकारी					
2		वरिष्ठ लिपिक					
3	श्रीमती सुनीता वर्मा	कनिष्ठ लिपिक	04.01.1975	25.04.1996	25.04.1996	31.01.2035	रायबरेली
4		कनिष्ठ लिपिक					

5		कनिष्ठ लिपिक					
6		कल्याण कार्यकर्ता					
7	श्री अरुण कुमार	चपरासी	06.01.1979	20.01.1997	20.01.1997	31.01.2039	बुलंदशहर
8	श्री रामगोपाल	चौकीदार	05.06.1972	24.10.1997	24.08.2004	30.06.2032	शाहजहाँपुर
9	श्रीमती उषा देवी	सफाई कर्मी	09.04.1964	17.10.1986	17.10.1986	30.04.2024	शाहजहाँपुर
57.	सहारनपुर						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री संजय कुमार गिरी	कनिष्ठ लिपिक					
3	श्रीमती ममता रानी गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक	25.06.1976	04.03.1998	18.11.2002	30.06.2036	सहारनपुर
4							
5	श्री राजेन्द्र कुमार	चपरासी	02.12.1978	07.06.2003	07.06.2003	01.12.2038	सहारनपुर
6	श्री हरी बहादुर	चौकीदार	26.03.1955	01.01.1994	01.01.1994	29.03.2015	नेपाल
7	श्री लक्ष्मण दास	सफाई कर्मी	23.07.1976	03.12.1996	वर्ष 2008	31.07.2036	सहारनपुर
58.	संत रविदास नगर (भदोही)						
1	श्री देवराज मिश्र	वरिष्ठ लिपिक	25.07.1953	09.03.1978	22.08.2005	31.07.2013	मिर्जापुर
2		लेखा लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री कमला सिंह	कनिष्ठ लिपिक	04.05.1969	20.06.2003	26.06.2003	31.05.2029	मिर्जापुर
5							
6	मोहम्मद हकीक	चौकीदार		वर्ष 1997	22.07.2008		सुल्तानपुर
7		अर्दली					
8	श्री शेषनाथ	चपरासी	30.09.1960	02.07.1996	02.07.1996	30.09.2020	जौनपुर
9	श्री सुरेश राम	सफाई कर्मी	10.10.1950	27.04.1996	27.04.1996	31.10.2010	चन्दौली
59.	सिद्धार्थनगर						
		वरिष्ठ लिपिक					
1	श्री रमेश सिंह	कनिष्ठ लिपिक	05.02.1973	04.04.1995	26.07.2000	28.02.2033	सिद्धार्थनगर

2	श्री मनीश चन्द्र त्रिपाठी	कनिष्ठ लिपिक	04.01.1970	03.07.1997	01.07.2008	31.01.2030	गोरखपुर
		कल्याण कार्यकर्ता					
3	श्री गंगा प्रसाद	चपरासी	01.10.1971	26.06.2003	26.06.2003	30.09.2031	सिद्धार्थनगर
4	श्री जीत बहादुर गुरूंग	चौकीदार	01.09.1965	01.04.1992	जून, 2006	31.08.2025	गोरखपुर
5		सफाई कर्मी					
60.	सीतापुर						
1	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	वरिष्ठ लिपिक	01.01.1954	04.08.1973	24.01.2004	31.12.2013	सीतापुर
2	श्री राम प्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	01.12.1966	19.07.1997	26.06.1999	30.11.2026	उन्नाव
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री राम सागर सिंह	कल्याण कार्यकर्ता	14.09.1952	04.09.1997	17.08.1998	30.09.2012	आजमगढ़
5	श्री उमेश कुमार सिंह	चपरासी	19.08.1951	01.07.1985	24.08.1991	31.08.2011	सीतापुर
6		चौकीदार					बरेली
7		सफाई कर्मी					
61.	सोनभद्र						
1		वरिष्ठ लिपिक					
2	श्री पारस नाथ सिंह चौहान	कनिष्ठ लिपिक	06.03.1969	01.08.1997	13.11.2007	31.03.2029	गाजीपुर
3	श्री हरिचरन	कल्याण कार्यकर्ता	09.05.1952	01.03.1995	13.07.2005	31.03.2012	सोनभद्र
4	श्री भूलन राम	चपरासी	20.07.1951	04.04.1982	14.02.1991	31.07.2011	वाराणसी
5	श्री सोवरन सिंह	चौकीदार	05.07.1964	25.10.1997	25.10.1997	31.07.2024	जालौन
6	श्री असलम	सफाई कर्मी	09.07.1971	10.01.1991	10.01.1991	31.07.2031	सोनभद्र
62.	श्रावस्ती						
1	श्री दुर्गाप्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	30.07.1974	13.06.2003	13.06.2003	13.02.2034	श्रावस्ती
2		कनिष्ठ लिपिक					
3		कल्याण कार्यकर्ता					
4	श्री रामऔतार	चपरासी	12.01.1962	04.07.1998	04.07.1998	20.01.2022	सीतापुर
5		चौकीदार					

6		अर्दली					
63.	सुल्तानपुर						
1	श्री राम कैन्सल	वरिष्ठ लिपिक	02.01.1962	24.08.1982	13.05.2006	31.01.2022	सुल्तानपुर
2		कनिष्ठ लिपिक					
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	रवीन्द्र नरायन	कनिष्ठ लिपिक			अगस्त,2008		
5	श्री रामसनेही	कल्याण कार्यकर्ता	13.06.1959	18.07.2003	18.07.2003	30.06.2019	सुल्तानपुर
6	श्री सुरेश प्रताप सिंह	चपरासी	01.07.1964	11.02.1991	08.06.2005	30.06.2024	फैजाबाद
7	श्री हीरा लाल	चौकीदार	30.06.1963	01.07.1986	वर्ष 2007		सुल्तानपुर
8	श्री संगीत कुमार	सफाई कर्मी	25.01.1984	01.02.2005	01.02.2005	31.01.2044	गोंडा
64.	उन्नाव						
1	श्री सूर्य मणि द्विवेदी	वरिष्ठ लिपिक	10.01.1952	08.03.1973	13.06.2005	31.01.2012	इलाहाबाद
2		कनिष्ठ लिपिक					
3	श्री शिवप्रसाद	कनिष्ठ लिपिक	15.06.1972	04.07.1997	06.08.2003	30.06.2032	उन्नाव
4	श्री भीखालाल	कनिष्ठ लिपिक	25.06.1965	01.08.1997	24.09.2007	30.06.2025	उन्नाव
5	श्री मो0 आलमगीर सिद्दीकी	कल्याण कार्यकर्ता	18.11.1953	04.07.1997	28.12.2005	30.11.2013	शिवनी (एम0पी0)
6	श्रीमत रमा राय	चपरासी	13.08.1969	23.02.2007	23.02.2007	28.02.2029	लखनऊ
7	श्री कृष्ण पाल	चौकीदार	02.06.1952	03.10.1985	13.06.2005	30.06.2012	लखनऊ
8		सफाई कर्मी					निगम
65.	वाराणसी						
1		सहायक अधि.					
2	श्री विनोद कुमार त्रिपाठी	वरिष्ठ लिपिक	07.07.1960	14.07.1983	08.06.2006	31.07.2020	वाराणसी
3		कनिष्ठ लिपिक					
4	श्री मनोज कुमार सिंह	कनिष्ठ लिपिक	01.07.1977	08.09.1997	04.03.2005	31.07.2037	गाजीपुर
5		कनिष्ठ लिपिक					गाजीपुर

6	श्री राम बली चौबे	कल्याण कार्यकर्ता	30.01.1954	01.07.1997	20.06.2006	31.01.2014	वाराणसी
7		वाहन चालक					
8		चपरासी					
9	श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी	चौकीदार	13.06.1955	02.12.1993	02.12.1993	30.06.2015	वाराणसी
10	श्री किशन लाल	सफाई कर्मी	07.01.1962	18.10.1986	18.10.1986	31.01.2022	वाराणसी

नोट:- नवसृजित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों, कांशीराम नगर, सन्त कबीर नगर, ललितपुर, बागपत एवं औरैया में स्टाफ की तैनाती अभी नहीं हो पायी है।

भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा

परिभाषित भूतपूर्व सैनिक

1. केन्द्रीय सिविल सेवाओं में समूह ग एवं घ के पदों में आरक्षण के लिये

- (क) जो एक जुलाई, 1968 से पहले सेवामुक्त हुए हैं - कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी रैंक में संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की हो और जिनको सेवा मुक्त किया गया हो इसमें शामिल किया गया है ।
- (ख) जो एक जुलाई, 1968 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई, 1979 से पहले सेवा मुक्त हुए हों कोई भी व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में साक्षात्कन के बाद कम से कम छः माह की लगातार सेवा की हो ।
- (ग) जो एक जुलाई, 1979 को या उसके बाद लेकिन 01 जुलाई, 1987 से पहले सेवामुक्त हुए हों कोई भी व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में साक्षात्कन के बाद कम से कम छः माह की सेवा की हो और यदि उन्हें स्वयं के अनुरोध के बजाय किसी अन्य कारण से सेवामुक्त न किया गया हो और यदि स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त किया गया हो तो सेवा अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
- (घ) जो 01 जुलाई 87 या उसके बाद सेवामुक्त हुए हों कोई भी व्यक्ति जिसने संघ की सशस्त्र सेनाओं में किसी भी रैंक में सेवा की हो और अपने अनुरोध के बजाय रक्षा बजट से किसी भी प्रकार के पेंशन के साथ सेवामुक्त/सेवानिवृत्त हुआ हो या अपनी निर्दिष्ट कार्यावधि पूर्ण होने पर, ग्रेजुएटि के साथ सेवामुक्त हुआ हो ।
- (ङ) इसके साथ-साथ प्रादेशिक सेना के विभिन्न श्रेणी के कार्मिक जैसे सतत अंगीभूत सेवा के पेंशन धारक, सैनिक सेवा के कारण अपंग हुए व्यक्ति और 15 नवम्बर, 1986 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए शौर्य पुरस्कार विजेता तथा सेना डाक सेवा (ए पी एस) के वे कार्मिक जो नियमित सेना का अंग हैं और ऐसी सेवा से सीधे सेवानिवृत्त हुए हैं तथा डाक एवं तार विभाग में प्रत्यावर्तन हुए बिना सीधे ही सेवा डाक सेवा से पेंशन सहित या सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा के आधार पर या उनके नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों वश एवं उन्हें मेडिकल या अन्य अपंगताओं पेंशन प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए हों, उनको भी भूतपूर्व सैनिकों की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल किया गया है ।

भूतपूर्व सैनिक के श्रेणी में नहीं आते हैं

- (क) जो सैन्य कार्मिक बर्खास्तगी या दुराचार या अयोग्यता के कारण निकाले गए हैं, वे भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं ।
- (ख) करार की अवधि को पूरा करने से पूर्व अपने अनुरोध पर सेवामुक्ति लेने वाले, सैन्य-कार्मिक भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नहीं आते ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देय सुविधायें

1. **वीरता पुरस्कार**

उत्तर प्रदेश में रहने वाले जल, थल, वायु सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त नकद पुरस्कार तथा वार्षिकी अनुदान एवं भूमि के स्थान पर नकद धनराशि की वर्तमान दर निम्नवत है :-

क्रम सं०	पुरस्कार का नाम	एक मुश्त धनराशि	वार्षिकी 30 वर्षों तक
1	परमवीर चक्र	25,00,000.00	1,50,000.00
2	महावीर चक्र	15,00,000.00	1,14,000.00
3	वीर चक्र	10,00,000.00	66,000.00
4	अशोक चक्र	25,00,000.00	1,20,000.00
5	कीर्ति चक्र	15,00,000.00	1,00,000.00
6	शौर्य चक्र	10,00,000.00	50,000.00
7	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,50,000.00	6,000.00
8	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,25,000.00	5,000.00
9	युद्ध सेवा मेडल	40,000.00	4,000.00
10	सेना, नौ सेना तथा वायु सेना मेडल	30,000.00	4,800.00
11	मेंशन इन डिस्पैच	25,000.00	3,000.00

प्राधिकार:- शासनादेश संख्या-1009/48-2008-113(वि)/2004 दिनांक 20 सितम्बर, 2008 तथा 2028(1)/तीन-2008-2(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008.

2- सेवा मेडल

क्रम. सं०	पुरस्कार का नाम	एकमुश्त धनराशि	वार्षिकी 30 वर्षों तक
1	परम विशिष्ट सेवा मेडल	1,15,000/-	5,400/-
2	अति विशिष्ट सेवा मेडल	57,000/-	4,800/-
3	विशिष्ट सेवा मेडल	23,000/-	3,000/-

प्राधिकार :- शासनादेश संख्या-787/48-09-19(7)/72 टी.सी.।।। दिनांक 29 सितम्बर, 2009

3- वर्ष 1962 एवं 1965 में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/अपंगों को आवासीय सहायता

वर्ष 1962 एवं 1965 के युद्धों में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को रू० 5000/- प्रति पात्र की दर से एक मुश्त आवासीय अनुदान दिया गया है ।

प्राधिकार :- शासनादेश संख्या-2481/48/81-12-2(8)/74 दिनांक 27 नवम्बर, 1981.

4- वीर गति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं/परिवार तथा अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता

उ०प्र० सरकार ने आपरेशन 'पवन' श्रीलंका, 'मेघदूत' सियाचीन से प्रदेश में रहने वाले भारतीय सेना के शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/परिवारों तथा अपंग हुए ऐसे सैनिकों को जो अपंगता के आधार पर सेवामुक्त हो गये हैं, क्रमशः रू० 15,000.00 तथा रू० 10,000.00 प्रति पात्र की दर से विशेष आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया गया था ।

प्राधिकार :- शासनादेश सं० 2290/48-88-11-2(23)/87 दिनांक 07 अक्टूबर, 1988.

5- द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में रहने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दिनांक 01 अगस्त, 1990 से रू0 100/- (रूपये एक सौ) प्रतिमाह तथा दिसम्बर, 93 से रू0 250/- (रूपये दो सौ पचास) जून 2001 से 500/- (रूपये पाँच सौ) एवं अप्रैल, 2006 से 1000/- प्रतिमाह तथा 01 अगस्त, 2008 से रू0 2500/- प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की है । पेंशन प्राप्त करने की पात्रता निम्नवत है:-

प्राधिकार :- शासनादेश सं0 790/48-2008-72(विविध)/93 दिनांक 18 अगस्त, 2008.

क) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना में कमी करने के कारण सैन्य विघटन (Demobilised) अथवा युद्ध में भाग लेने के फलस्वरूप शारीरिक रूप से अक्षम होने पर मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा मुक्त कर दिये गये हों ।

(ख) उ0प्र0 के स्थाई निवासी हों ।

(ग) किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन प्राप्त न कर रहे हों ।

प्राधिकार :- शासनादेश संख्या-2504/48-90-23-विविध/87 दिनांक 11 फरवरी 1991 तथा शासनादेश संख्या-2350/48-93-72 (विविध)/93 दिनांक 30 नवम्बर, 1993.

शासनादेश संख्या -778/48-200/72(वि)/93 दिनांक 18 जून, 2001 एवं शासनादेश संख्या-1029/48-2005-72 (वि)/93 93 दिनांक 22 जून, 2005.

6- चिकित्सा सहायता

प्रदेश के सभी चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों के आउटडोर एवं जनरल वार्ड में भर्ती, भूतपूर्व सैनिकों सहित समस्त मरीजों को निःशुल्क परीक्षण, भोजन एवं औषधी प्रदान की जाती है ।

7- भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम सभा की फालतू भूमि के आवंटन में वरीयता

भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा ग्राम सभा की भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित प्राथमिकताएं निम्न लिखित हैं:-

प्राथमिकता

(क) ऐसे व्यक्ति की, जिसने संघ की सशस्त्र सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, न्याय पंचायत में रहने वाली भूमिहीन अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ या उसके भूमिहीन माता-पिता ।

- (ख) न्याय पंचायत में रहले वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु आक्रमण के कारण पूर्णतया निर्योग्य हो गया हो ।
- (ग) न्याय पंचायत में रहने वाले कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेवा में अधिकारी से भिन्न किसी सेवा से निवृत्त, निर्मुक्त या सेवा मुक्त हो ।

प्राधिकार :- उत्तर प्रदेश भूमि-निधि (संशोधन) अधिनियम 1975 (उ0प्र0 अनियम सं030, 1975) मूल अधिनियम की धारा 198 का संशोधन.

8- भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूखण्ड/निर्मित भवनों के आवंटन में आरक्षण

उ0 प्र0 सरकार ने सेवारत कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा राज्य के विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों तथा मकान के भूखण्ड (प्लॉट) आवंटन में 3 प्रतिशत आरक्षण स्वीकृत किया है ।

प्राधिकार **शासनादेश संख्या:2905/37-2-91-94 एम.बी./91 दिनांक 25.11.1991**

9- मेडिकल/इंजीनियरिंग/व्यवसायिक कालेजों, में भूतपूर्व सैनिकों व उनके पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटों का आरक्षण

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, उनकी पत्नियों को जिसमें युद्ध में मारे गये अथवा लापता घोषित और मृत मान लिय गये सैनिक भी सम्मिलित है, निम्नलिखित शैक्षिक सुविधायें प्राप्त हैं :-

- (क) भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं और बालकों को बी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अनुग्रहांक दिये जाने का प्राविधान है ।
- (ख) राज्य के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग (बी0टी0सी) के लिए स्थानों (सीटों) का आरक्षण ।

प्रशिक्षण संस्थाओं में विकलांग अधिकारियों, इमरजेंसी/शार्ट सर्विस के कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सुरक्षा कर्मियों उनके पुत्रों सगे भाईयों, पुत्रियों सगी बहनों और पत्नी के लिए उ0प्र0 के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के लिये तीन प्रतिशत स्थान (सीटें) आरक्षित है । प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0ए0/बी0काम/बी0एस0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए । जो कार्मिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मध्यमा (विशारद) परीक्षा उत्तीर्ण है वे बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र नहीं है ।

**प्राधिकार :- शिक्षा निदेशक उ0प्र0 (शिक्षा सामान्य-3) पत्र संख्या-
सा(3)/9179/15-16(4)/83-84 दिनांक 21 मार्च, 1984.**

मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु

कम्बाइन्ड प्री मेडिकल टेस्ट (सी0पी0एम0टी0) में युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के बच्चों के लिए एक प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य हैं ।

प्राधिकार :- शासनादेश संख्या-2154/सैक0-14/पाक्रच-1/87 दिनांक 31 मार्च, 1987 तथा 2625/सैक-142ए/1987 दिनांक 27 अप्रैल, 1987.

(घ) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्त नगर (नैनीताल) में विभिन्न डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश हेतु सेवारत रक्षा कार्मिकों भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग सैनिकों के बालकों के लिए एक-एक सीट आरक्षित है ।

प्राधिकार :- गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्त नगर का पत्र सं0 आर/एस0ए0/मिसलेनियस/1981/4255 दिनांक 21 अक्टूबर, 1981.

(ङ) राज्य सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिग्री इंजिनियरिंग संस्थाओं में डिग्री कोर्स में प्रवेश हेतु लड़ाई में मारे गये/अपंग हुए सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये 2 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान किया है । ऐसे अभ्यर्थियों को मोती लाल नेहरू रीजनल इंजिनियरिंग कालेज, इलाहाबाद द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा में सफल होना आवश्यक है ।

प्राधिकार :- शासनादेश संख्या-4880/टी/18प्रा0-शि-1331-टी/81 दिनांक 08 मार्च, 1982 1924/331 दिनांक 07 मई, 1984 तथा 4765/84/1888/83 दिनांक 15 अक्टूबर, 1984.

(च) प्रदेश के समस्त औद्योगिक संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 8 प्रतिशत का आरक्षण सेना के विकलांग अधिकारियों/इमरजेन्सी कमीशन/शार्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों एवं सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए प्रदान किया गया है ।

प्राधिकार शासनादेश सं0 162/36-6-92(टी)/77 दिनांक 31 जनवरी, 1978, तथा 1827/36-6-92/77 दिनांक 08 अगस्त, 1980.

(छ) प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण

प्राधिकार :- शासनादेश सं0 1485/ई/18-व दिनांक 02 अगस्त, 1977

10- सैनिकों द्वारा किराये पर दिये गये आवास को खाली कराने के लिए विशेष प्राविधान

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972, में कार्यरत या सेवा निवृत्त सैनिक अथवा ऐसे सैनिक की विधवा को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासिक प्रयोजनों के लिए, किराये पर दिये गये भवन को खाली कराने के लिए, अधिनियम संख्या-17 सन् 1985 द्वारा मुख्य अधिनियम 1972 की धारा 2, 3, 4 10 व 21 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है । संबंधित सैनिक, भूतपूर्व सैनिक उनकी विधवाएं, इस संशोधित अधिनियम का लाभ, अपना किराये पर दिया हुआ मकान खाली कराने के लिए, उठा सकते हैं ।

11- उ0 प्र0 दातव्य निधि से भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों/आश्रितों को आर्थिक अनुदान

उ0प्र0 सरकार सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश सं0 345/48-91-11-5/13/76 दिनांक 22.7.1992 के अन्तर्गत जारी उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधि-नियमावली के अनुसार समस्त पात्रों को पूरा करने वाले उ0प्र0 के समस्त भूतपूर्व सैनिक तथा उनके आश्रित इस निधि से लाभ प्राप्त कर सकते हैं । यह निधि अपने लाभार्थियों को विपत्ति में तुरन्त वित्तीय सहायता पहुंचाता है । इसके लिये आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के माध्यम से भेजने पड़ते हैं । इस निधि से जिला सैनिक कल्याण अधिकारी स्तर पर 200/- तथा जिलाधिकारी 500/- देय है । दातव्य निधि के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को रू0 1000/- तक वर्ष में एक बार आर्थिक सहायता दी जाती है ।

12- उ0 प्र0 भूतपूर्व सैनिक विजय निधि

उ0प्र0 सरकार के आदेशानुसार इस निधि से निम्नलिखित अवसरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

- (क) निदेशालय/जिला स्तर पर आयोजित भूतपूर्व सैनिकों की बैठकों पर ।
- (ख) आर्थिक रूप से दीन दुखी भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों को आकस्मिक अनुदान ।
- (ग) सैनिक विश्राम गृहों के बाग-बगीचों की देख-रेख हेतु ।
- (ङ) आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक के आकस्मिक दुर्घटना से निधन होने पर उसके एक विधिक उत्तराधिकारी को एक मुश्त आर्थिक सहायता ।
- (च) दैविक आपदा (भूकम्प,अग्निकांड तथा भूस्खलन व बाढ़ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों के लिये निजी आवासीय घर जिसमें वह स्वयं या उसका परिवार निवास करता हो के गृह क्षति की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु एक मुश्त आर्थिक सहायता ।

इस निधि से सहायता हेतु आवेदन-पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से भेजना आवश्यक है ।

13- भूतपूर्व सैनिकों हेतु बस परमिट कोटा

भूतपूर्व सैनिकों को बस परमिट का कोटा शासकीय अधिसूचना संख्या-1158 टी/30-4-15 पी/79 दिनांक 25.3.87 द्वारा निर्धारित किया गया है । जिसके अनुसार ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को जिनके पास परिवहन की गाड़ियों को चलाने का वैध लाईसेन्स हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके आश्रितों के साथ 15 प्रतिशत का कोटा देय है ।

14- उचित मूल्य की दुकानें तथा दुकानों के आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को उचित मूल्य की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से आवंटित की जाती है । शहरी क्षेत्रों में उनका आवंटन निम्नलिखित प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है ।

- | | | |
|-----|---|----------------|
| (क) | युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवार के सदस्य | - प्राथमिकता-2 |
| (ख) | युद्ध में घायल सैनिकों के परिवार के सदस्य | - प्राथमिकता-3 |
| (ग) | भूतपूर्व सैनिक | - प्राथमिकता-5 |

15- विश्राम गृहों में रहने की सुविधा

प्रदेश में 45 सैनिक विश्राम गृहों में सेवारत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों को अल्प शुल्क के आधार पर रहने की सुविधा प्राप्त है ।

16- शिक्षा सम्बन्धी रियायत-शैक्षिक शुल्क से मुक्ति

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहें निम्नलिखित सैनिकों के बालकों तथा पत्नियों को मंहगाई भत्ता शुल्क सहित शिक्षा शुल्क दिये जाने से पूरी छूट प्रदान की है :-

- (क) ऐसे कार्मिकों को जो विकलांग हो गये हो, लापता घोषित हुये हो अथवा मृत मान लिये गये हों, प्रारम्भिक (प्राइमरी) से लेकर स्नातोकोत्तर स्तर तक ।
- (ख) ऐसे सेवारत सुरक्षा कार्मिक तथा अवर श्रेणियों (जूनियर कमीशन अधिकारी तथा अन्य रैंकों के अधिकारी) भूतपूर्व सैनिकों के बालकों तथा पत्नियों को जिनकी परिलब्धियों/आय स्रोत प्रतिवर्ष 9000/- रुपये से अधिक न हो प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल स्तर तक ।

नोट :- यदि यह रियायत बालकों को दे दी जाती है तो उसकी पाने वाला बालक कक्षा में एक बार अनुत्तीर्ण हो जाने पर भी इसे प्राप्त करता रहेगा ।

प्राधिकार उत्तर प्रदेश संख्या-1292/15-ई एस0डब्लू0 36/63 दिनांक 12 फरवरी 65-3121/15-डब्लू 3663/दिनांक 23 दिनांक 66 तथा 227/15 (14) डब्ल्यू/82 दिनांक 04 फरवरी 82.

17- पुस्तक सम्बन्धी सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्ष सेना के सेवारत कामिकों ऐसे सैनिकों जो युद्ध में मारे गये हों अथवा जो लापता घोषित हुये हो या जिनकों मृत मान लिया गया हो, और ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो निराश्रित हो गये हो अथवा जिनकी मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों/पत्नियों के लिए पुस्तक सम्बन्धी निम्नलिखित सहायता स्वीकृत की है :-

प्रक्रम	कितनी पुस्तकें क्रय करने की	पुस्तक क्रयार्थ सहायता की दर
कक्षा एक से पाँच तक	3,000	75/- रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष
कक्षा छह से आठ तक	2,000	80/- रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष
कक्षा नौ तथा दस	1,000	90/- रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष
कक्षा ग्यारह तथा बारह	500	100/- रूपये प्रति छात्र/प्रति वर्ष

टिप्पणी उपरोक्त पैरा 1 और 2 में दी गई सुविधाएं रक्षा सेवा कार्मिक के निवास स्थान का विचार किये बिना उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन कर रहे रक्षा सेवा कार्मिकों (सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों) के बालकों तथा पत्नियों पर लागू होती है ।

प्राधिकार शासनादेश संख्या-227/15(4) डब्ल्यू/82 दिनांक 4 फरवरी 1982.

1971 के भारत पाक युद्ध मारे गये अथवा विकलांग हुये सैनिकों के बालकों को निम्नलिखित अतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी रियायतें स्वीकृत की है । ये रियायतें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्राइमरी कक्षा स लेकर डिग्री कक्षाओं तक अध्ययनरत बालकों को ग्राह्य हैं ।

- (क) शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा सभी अन्य शुल्क दिये जाने से मुक्ति
- (ख) आवासिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में कुल छात्रावास शुल्क दिये जाने से मुक्ति ।
- (ग) पुस्तकों तथा लेखन-सामग्री सम्बन्धी व्यय की वापसी ।
- (घ) शिक्षा संस्थाओं द्वारा चलायी जाने वाली बसों के सम्बन्ध में बस का किराया देने से मुक्ति ।
- (च) बस अथवा रेल का मासिक यात्रा पत्रों (पासों) के सम्बन्ध में वास्तविक किराये की वापसी ।

प्राधिकार उत्तर प्रदेश सरकार का पत्र संख्या-ई/ 4167-15-14 डब्ल्यू-6-1973 दिनांक 06 मार्च 1973.

18- उत्तर प्रदेश के रक्षा सेवा के कार्मिकों, जिन्हें वीर चक्र की श्रेणी का अलंकरण प्रदान किया गया हो, बालकों को प्राइमरी स्कूल से लेकर इण्टरमीडिएट स्तर तक निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जायेंगी :-

- (क) बस के किराये सहित सभी प्रकार के शुल्क दिये जाने से छूट
- (ख) स्कूल के समवेस (यूनीफार्म) के व्यय करने से छूट
- (ग) निम्नलिखित मापदण्ड के अनुसार छात्रावास शुल्क

जे0सी0ओ0 (जूनियर कमीशण्ड आफिसर)	दस रूपये प्रति माह
एन सी ओ (नान कमीशण्ड आफिसर)	सात रूपये प्रति मास
अन्य पदाधिकारी	पॉंच रूपये प्रति मास
एन सी ई (नान कम्बार्टेंट्स इनरोल्ड)	तीन रूपये प्रति मास

प्राधिकार शासनादेश संख्या-ई/2292/15(14)/डब्ल्यू 8/1971 दिनांक 17 जनवरी 1972.

टिप्पणी ऐसे बालक जो पैरा-3 और और 4 के अधीन सुविधायें प्राप्त करने के पात्र है उन्हें सुविधायें अतिरिक्त रूप में नहीं दी जायेंगी ।

19- उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर रोड पर रमणीय वातावरण में स्थित है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम वाला एक आवासिक पब्लिक स्कूल है जो भारतीय विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद (काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन) नई दिल्ली से सम्बद्ध है । यह परिषद् उत्तर प्रदेश के चयन किये छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षा (नेशनल डिफेन्स) अकादमी द्वारा प्रतिरक्षा बल के अधिकारी संवर्ग को जीविका के लिए, अत्यधिक राजकीय आवश्यकताओं के अनुरूप सहायतार्थ सैनिकोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करती है ।

इस स्कूल में प्रवेश राज्य के कई स्थानों में ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम में किया जाता है । इस स्कूल में 10 1/2 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के कक्षा छह उत्तीर्ण लड़कों को प्रवेश दिया जाता है ।

20- उ० प्र० सैनिक पुनर्वास निधि से सहायता

(क) शैक्षिक अनुदान

उ० प्र० के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को निधि द्वारा निम्नलिखित दर से 01 अप्रैल 1991 से वार्षिक शैक्षिक अनुदान देय है । इसके लिये निर्धारित प्रपत्र पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र भेजना आवश्यक है ।

सामान्य शिक्षा

क्रम सं०	पिछली परीक्षा में प्राप्त कम से कम अंक	कक्षा	वार्षिक अनुदान की दर
1	48%	7 तथा 8	रु० 200/-
2	48%	9 तथा 10	रु० 300/-
3	50%	11 तथा 12	रु० 400/-
4	50%	बी०ए० तथा बी० काम	रु० 500/-
5	50%	बी०एस०सी०, बी०एड० तथा एल०एल०बी०	रु० 600/-
6	50%	एम०ए० तथा एम०काम०	रु० 600/-
7	50%	एम०एस०सी० एम०एड० तथा एल०एल०एम०	रु० 700/-
8	60%	पी०एच०डी०, एल०एल०डी० तथा एम०फिल०	रु० 3600/-

प्रौद्योगिक शिक्षा

1	50%	सर्टीफिकेट	रु० 500/-
2	50%	डिप्लोमा कोर्स	रु० 900/-
3	50%	डिग्री कोर्स	रु० 1200/-

(ख) एक्स ग्रेशिया ग्रांट

इस योजना क अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को रू0 1000/- तक आर्थिक सहायता प्रति पात्र प्रति वर्ष प्रदान की जाती है । भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की लड़की के शादी हेतु रू0 10,000/- तक आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(ग) चिकित्सा सहायता/व्यय की प्रतिपूर्ति

इस निधि के प्रदेश के ऐसे भूतपूर्व सैनिक/उनकी विधवाओं को जिसकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे की हो सहायता दी जाती है । साधारण बीमारी के लिये प्रत्येक पात्र को रू0 300/- तक की सहायता एक वर्ष में देय है ।

(घ) क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के 9 माह तक विशेष भोजन पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

(ङ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय रू0 2000/- से कम है, को उनके द्वारा विशेष चिकित्सा पर जिसकी सुविधा सैनिक अन्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, किये गये खर्च का 75 प्रतिशत (अधिकतम रू0 40,000/-) तक प्रति पूर्ति करने का प्राविधान है ।

(च) ब्याज में छूट

प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को अपना निजी व्यवसाय चलाने हेतु बैंक से ऋण लेने पर, निम्नलिखित दर से निधि द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है :-

(क)	रू0 10,000/- तक ऋण पर	-	8% प्रति वर्ष
(ख)	रू0 10,000/- से ऊपर	-	10% प्रति वर्ष
	रू0 1,00,000/- तक ऋण पर	-	

(छ) प्री कम पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग

इस योजना में सेवारत सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है ।

(ज) क्वीन मेरी टेक्निकल स्कूल पुणे में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति

प्रदेश के अपंग भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार हेतु क्वीन मेरी टेक्निकल स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रवेश लेने पर प्रति पात्र रू0 600/- प्रति माह की दर से अनुरक्षण चार्ज देय है ।

21 उ० प्र० सैनिक कल्याण निगम द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को पुर्नर्योजन मे सहायता

(क) भूतपूर्व सैनिकों का प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा शोषण रोकने तथा उनको समुचित वेतन पर रोजगार देने हेतु इस सेवा का आयोजन किया गया है । निगम द्वारा प्रदेश में स्थित किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान/औद्योगिक संस्थान को उचित एवं सन्तोषजनक मूल्य पर सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का प्रबन्ध है ।

(ख) टेक्निकल सर्विसेज

निगम द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर प्रदेश के सार्वजनिक/निजी व्यापारिक अथवा औद्योगिक संस्थानों को उचित एवं संतोषजनक मूल्य पर सुरक्षा सेवा कराने का प्रबन्ध है ।

24- शहीद पत्नियों को गृहकर से मुक्ति प्रदान करना

शासन द्वारा देश की सुरक्षा में केवल शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व आवासीय भवन जिसमें वह स्वयं निवास कर रहा हो को गृहकर से छूट प्रदान की गयी है । वह छूट केवल नगर निगमों के अन्तर्गत ही दी जा रही है ।

प्राधिकार:- शासनादेश संख्या- 1973/नौ-9-200-3-24 एम/89 दिनांक 23 अक्टूबर 2003.

29- उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा सहायता

इस संस्थान द्वारा युद्ध/सीमान्त झड़पों में शहीद/सैनिकों के आश्रितों को एकमुश्त आर्थिक सहायता अधिकारियों को ₹0 2,50,000/- तक एवं अन्य सैन्य अधिकारियों को ₹0 2,50,000/- एवं सेवा मुक्त युद्ध अपंग अधिकारी को ₹0 1,00,000/- एवं अन्य को 1,00,000/-सहायता दी जाती है ।

उ0प्र0 पुलिस एव आर्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की स्थापना 10 सितम्बर, 1963 को मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में जमा धन में से रू0 1.5 करोड़ की धनराशि से की गयी थी । यह धनराशि एक ट्रस्ट के रूप में विनियोजित है जिसके settler मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश है ।

उद्देश्य :- संस्थान का उद्देश्य भारत चीन सीमा पर अथवा किसी अन्य वाह्य आक्रमण के समय अथवा वाह्य तत्वों के द्वारा प्रेरित इन्सरजेन्सी/आतंकवाद की घटनाओं/आपातकालीन स्थिति/श्रीलंका में “पवन” आपरेशन/देश/प्रदेश में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव/साम्प्रदायिक दंगों/दैवी-आपदाओं एवं उनके दौरान बचाव कार्य में/दस्यु उन्मूलन अभियान/अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा परिचालित अन्य विशेष अभियानों में मृत/स्थायी रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पी0ए0सी0/विशेष अभियानों में मृत/स्थायी रूप से अपंग घोषित सैन्य बल/पुलिस/पी0ए0सी0/विशेष पुलिस बल एवं अर्द्ध सैनिक बल के कर्मियों एवं उनके आश्रितों, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों, की भलाई के लिये योजनायें संचालित करना है ।

लाभार्थी :- संस्थान द्वारा उपरोक्त श्रेणी के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितो/पति/पत्नी/माता/पिता/बच्चे/मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे तथा माँ-बाप के न होने पर पूर्णतया आश्रित हो, को संस्थान द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है ।

संचालित योजनायें :- उपरोक्त पैरा-2 में वर्णित घटनाओं/परिस्थितियों में सैन्यबल/पुलिस एवं पी0ए0सी0 कर्मियों के वीरगति अथवा स्थायी रूप से अपंगता के आधार पर सेवा निवृत्त होने की दशा में अनुग्रह अनुदान प्रदान करना ।

- (क) जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता ।
- (ख) लड़कियों के विवाह सहायता (जिनकी विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु हो)
- (ग) विशेष चिकित्सा जैसे कैंसर प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता ।
- (घ) लाभ-भोगियों के बच्चों को वार्षिक शिक्षा सहायता ।

राष्ट्रीय रक्षा कोषाधीन प्रधानमंत्री स्कालरशिप योजना

उद्देश्य :- प्राविधिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से युद्ध शहीद विधवा/भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रधानमंत्री स्कालरशिप योजना के नाम से वर्ष 2006-2007 के शैक्षिक सत्र से योजना का शुभारम्भ किया गया है ।

अर्ह पात्र

- भूतपूर्व सैनिक(जो कि अधिकारी रैंक से नीचे हो) के आश्रित तथा उनकी विधवायें ।
- सैन्य सेवा में विभिन्न गतिविधियों के दौरान मारे गये युद्ध शहीद के आश्रित/विधवायें ।
- सैन्य सेवा की दौरान वीर गति को प्राप्त हुये सैनिकों की विधवायें ।
- यह योजना भूतपूर्व सैनिक तथा उनकी विधवाओं तथा अविवाहित आश्रितों के लिये शुरू की गई है ।

स्कालरशिप हेतु अर्ह कोर्स मेडिकल, इन्जीनियरिंग दंत चिकित्सा पशु चिकित्सा, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, फार्मा, नर्सिंग इत्यादि प्राविधिक/व्यवसायिक शिक्षा हेतु जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जैसे कि All India council for Techonology Education/Medical Council etc. के अन्तर्गत अर्ह पात्रों को प्रधानमंत्री स्कालरशिप योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिलाये जायेंगे ।

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006 एवं तत्पश्चात् के अर्ह पात्र ही एडमिशन हेतु प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे ।

शैक्षिक योग्यता :- इंटरमीडियेट परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक अभ्यर्थी ही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होंगे ।

स्कालरशिप प्राप्त करने की अवधि :- प्रशिक्षण संस्था द्वारा संस्तुति के अनुसार 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के लिये स्कालरशिप प्राप्त होंगे ।

स्कालरशिप राशि :- रूपये 1250/- प्रतिमाह प्रति छात्र हेतु (एक मुश्त वर्ष में)
रूपये 1500/- प्रतिमाह प्रति छात्रा हेतु । -तदैव -

स्कालरशिप योजना के अन्तर्गत अभ्यर्थी को धनराशि तभी स्वीकृत की जायेगी जब प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र समाप्त होने के उपरान्त प्रशिक्षार्थी अच्छे प्राप्तांकों से सत्र उत्तीर्ण करेंगे ।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना(ई0सी0एच0एस0) सेवामुक्त भूतपूर्व सैनिकों को अन्य सेवामुक्त केन्द्र/राज्य कर्मचारियों की भाँति सेवा उपरान्त सस्ते/सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये रक्षा सरकार अधीन ई0ची0एच0एस0 की योजना प्रारम्भ की गयी है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत पात्र सभी भूतपूर्व सैनिक केवल सेना चिकित्सालयों में ही मुफ्त सेवा का लाभ प्राप्त नहीं करेंगे वरन् यह सभी भूतपूर्व सैनिक राज्य के चिकित्सा प्रतिष्ठानों/प्राइवेट अस्पताल आदि में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे जिन्हें ई0सी0एच0एस0 के नियंत्रणाधीन अधिकृत किया गया है ।

चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु अर्हता

1. वे भूतपूर्व सैनिक जो सेना के सेवा से पेंशन/विकलांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।
2. वे विधवा जो सैनिक के पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।
3. वे आश्रित जिनकी 2500/-प्रति माह से कम मासिक आय हो ।
4. वे सैनिक पुत्र (पुत्रों) जो 25 वर्ष के कम आयु के हो ।
5. वे सैनिक पुत्री (पुत्रियों) जो कि अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा हो ।
6. विकलांग सैनिक सन्तान सम्पूर्ण जीवनकाल तक ।
7. सैनिक माता-पिता जिनकी मासिक आय 1,500.00 से कम हो ।

लाभान्वित होने वाले मरीज

1. सभी प्रकार के ज्ञात बीमारियों के लिये ।
2. सभी प्रकार के वास्तविक बीमारियों के लिये सुविधा की सीमा निर्धारण न होना ।
3. लाभ प्राप्त करने के लिये कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं हैं ।
4. सम्पूर्ण जीवनकाल के लिये एक मुश्त चिकित्सा शुल्क जमा किया जाना ।
5. आश्रित माता-पिता एवं सन्तान को भी उक्त सुविधायें लाभान्वित करायें जायेंगे ।
6. पारिवारिक वातावरण के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना ।
7. दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवा निवृत्त सैन्य कर्मियों/विधवाओं की एकमुश्त जमा की जाने वाली धनराशि नहीं देनी होगी ।

(3) **वीरता पुरस्कार:-**

पदक	एक मुश्त अनुदान	एन्यूटी प्रति वर्ष जो 30 वर्षों तक
परमवीर चक्र	25,00,000.00	1,50,000.00
महावीर चक्र	15,00,000.00	1,14,000.00
वीर चक्र	10,00,500.00	66,000.00
सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,50,000.00	6,000.00
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,25,000.00	5,000.00
युद्ध सेवा मेडल	40,000.00	4,000.00
सेना, नौ सेना तथा वायु सेना मेडल	30,000.00	4,800.00
मेन्शन इन डिस्पैच	25,000.00	3,000.00
<u>नान वीरता पुरस्कार</u>		
परम विशिष्ट सेवा मेडल	1,15,000.00	5,400.00
अति विशिष्ट सेवा मेडल	57,000.00	4,800.00
विशिष्ट सेवा मेडल	23,000.00	3,000.00

(5) **भूमि आवंटन:-**

भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम सभा की फालतू भूमि के आवंटन में वरीयता तथा भू-खण्ड/निर्मित भवनों के आवंटन में 3 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है ।

(6) **भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र तथा पुत्रियों को मेडिकल/इन्जीनियरिंग/व्यावसायिक कालेजों में सीटों में आरक्षण:-**

मेडिकल में 2 प्रतिशत, इन्जीनियरिंग में 2 प्रतिशत, पालिटेक्निक में 5 प्रतिशत तथा आई0टी0आई0 में 8 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है ।

(7) **शैक्षिक अर्हता में छूट:-**

सेना में की गई 15 वर्ष की सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को स्नातक के समकक्ष माना गया है ।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सस सहायता संस्थान:-

इस संस्थान द्वारा युद्ध/सीमान्त झड़पों में शहीद/सैनिकों के आश्रितों को एकमुश्त आर्थिक सहायता रू0 2,50,000.00 एवं अपंग सैनिकों को रू0 1,00,000.00 दिया जाता है ।

(9) पवन तथा मेघदूत आपरेशन की शहीद सैनिकों की पत्नी/आश्रितों को रू0 15,000.00 प्रति शहीद परिवार तथा रू0 10,000.00 प्रति पात्र सेवा मुक्त अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(10) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध विधवाओं को गृह कर से मुक्ति दिलाई गई ।

(11) जिला स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता ।

(12) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन/भूखण्ड/रू0 20,000.00 के अनुदान की सुविधा

सेना में भर्ती - नयी प्रणाली

1. भर्ती त्रैमासिक आधार पर होगी ।
2. आवेदन प्रथा समाप्त ।
3. भर्ती सिर्फ रैली के माध्यम से होगी ।
4. अभ्यर्थी पहली बार में ही भर्ती दल से सीधे संपर्क कर सकेगा ।
5. अभ्यर्थियों को बार-बार केन्द्रों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे ।
6. नई प्रणाली खुली, पारदर्शी, पूरी तरह निष्पक्ष तथा अभ्यर्थियों के अधिक अनकूल ।
7. जिस राज्य में रैली आयोजित होगी, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी भर्ती के काम में शामिल नहीं होंगे ।
8. लिखित परीक्षा सहित भर्ती की पूरी प्रक्रिया रैली स्थल पर ही पूरी की जायेगी ।
9. संबंधित रैली स्थलों पर लिखित परीक्षा हर माह के अंतिम रविवार को पूरे देश में एक साथ आयोजित होगी ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों के लिये स्थापित विश्राम गृहों की सूची

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय : 65	
विश्राम गृहों की संख्या : 47	
क्रम सं०	कार्यालय एवं विश्राम गृह का पता
1	आगरा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, आगरा
2	अलीगढ़ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, अलीगढ़
3	इलाहाबाद जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ०प्र० पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद
4	आजमगढ़ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, आजमगढ़ ।
5	बहराइच जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बहराइच
6	बलिया जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट एन०सी०सी चौराहा, जेल रोड, बलिया ।
7	बौदा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, बौदा ।
8	बाराबंकी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस स्टैंड, बाराबंकी ।

9	बरेली
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, बरेली ।
10	बदायूँ
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कलेक्टर आवास के पीछे, बदायूँ ।
11	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, बस्ती ।
12	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, बुलन्दशहर ।
13	देवरिया
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट बस स्टैंड, सिविल लाइन्स, देवरिया ।
14	इटावा
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट रेलवे स्टेशन, इटावा ।
15	फैजाबाद
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड के पीछे, फैजाबाद ।
	फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)
16	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	बस अड्डे के पास, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद ।
17	फतेहपुर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	एस0पी0 आफिस के बगल में, फतेहपुर ।
18	गाजीपुर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट निर्वाचन कार्यालय, गाजीपुर ।
19	गोंडा
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,

	कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, गोंडा ।
20	गोरखपुर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट बस स्टैंड, गोरखपुर ।
21	हमीरपुर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कार्यालय,हमीरपुर
22	हरदोई जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट सिनेमा चौराहा, हरदोई ।
23	जालौन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, जिला परिषद के पास, जालौन ।
24	जौनपुर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, सिविल लाइन्स, जौनपुर
25	झोंसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट न्यायाधीश कालोनी, झोंसी ।
26	कानपुर नगर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड,लायर्स एशोसिएशन के पास, कानपुर नगर ।
27	खीरी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, कचेहरी कम्पाउण्ड, खीरी ।
28	लखनऊ जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निर्वाचन कार्यालय के सामने, कैसरबाग, लखनऊ ।
29	मैनपुरी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, मैनपुरी ।
30	मथुरा

	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट जिला जेल, मथुरा ।
31	मेरठ
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, मेरठ ।
32	मिर्जापुर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट कमिश्नर आफिस, मिर्जापुर ।
33	मुजफ्फरनगर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, मुजफ्फरनगर ।
34	प्रतापगढ़
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	पी0डब्लू0डी0 कार्यालय के सामने, जिलाधिकारी आवास रोड,
	प्रतापगढ़ ।
35	रायबरेली
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, रायबरेली ।
36	रामपुर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, रामपुर ।
37	सहारनपुर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	रोडवेज् बस स्टैंड के पास, सहारनपुर ।
38	शाहजहाँपुर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कचेहरी कम्पाउण्ड, शाहजहाँपुर ।
39	सीतापुर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, निकट लालबाग चौराहा, सीतापुर ।
40	सुल्तानपुर

	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट बस स्टैंड, सुल्तानपुर ।
41	उन्नाव
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	रेलवे स्टेशन के पास, उन्नाव ।
42	वाराणसी
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	कचेहरी कम्पाउण्ड, वाराणसी ।
43	गाजियाबाद
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	के0एच0 - 171, नया कवि नगर, गाजियाबाद ।
44	एटा
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	निकट कलेक्ट्रेट कचेहरी कम्पाउण्ड, एटा ।
45	महाराजगंज
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	महाराजगंज
46	मुरादाबाद
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	मुरादाबाद ।
47	बिजनौर
	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
	बिजनौर ।

झंडा दिवस का संक्षिप्त इतिहास

आजादी से पूर्व अंग्रेजों द्वारा अपने राष्ट्र तथा उपनिवेश के रक्षार्थ प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 11 नवम्बर को एक स्मृति दिवस जो “पौपी डे” के नाम से प्रचलित था, मनाया जाता था । इस दिवस पर संग्रहित धनराशि को सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाता था ।

प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त यह दिवस “आरमिसटिस दिवस” के नाम से 11 नवम्बर को ही प्रति वर्ष मनाया जाने लगा । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे राष्ट्र में यह दिवस प्रति वर्ष 07 दिसम्बर को “झंडा दिवस” के नाम से मनाया जाने लगा । हमारे राष्ट्र में यह दिवस युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, सेवारत वीर सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों को आदर सहित स्मरण करने तथा इस दिवस पर एकत्रित धनराशि के माध्यम से सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व विधवाओं तथा आश्रितों को हर सम्भव सहायता पहुँचाई जाती है ।

उत्तर प्रदेश सैनिक दातव्य निधि

प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रदेश में झंडा दिवस मनाया जाता है । इस अवसर पर झंडों को वितरित कर प्रदेश के समस्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा जनसाधारण से धन संग्रह किया जाता है । इस प्रकार जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा संग्रहित धन का 30 प्रतिशत अंश जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा जिला दातव्य निधि में रखा जाता है, शेष 70 प्रतिशत धनराशि निदेशालय को प्राप्त होती है । निदेशालय में प्राप्त 70 प्रतिशत अंश में से ₹0 16,62,000.00 प्रति वर्ष केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को उनके अंश के रूप में भेजा जाता है । शेष संग्रहित धनराशि जो कि दातव्य निधि खाते/एफ0डी0आर0 में रखी जाती है में से भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों को जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, को उ0प्र0 शासन, सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 367/48-99-11-5(13)/76, दिनांक 30 जुलाई, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में प्रति वर्ष व्यय की जाती है ।

उक्त निधि से आर्थिक सहायता दो प्रकार से दी जाती है । एक निदेशालय एवं जिला स्तर पर उक्त शासनादेश के अनुसार गठित कमेटी की संस्तुति पर तथा दूसरा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जिलाधिकारी एवं निदेशक सैनिक कल्याण की स्वीकृति पर क्रमशः ₹01000.00, 2500.00 एवं 3000.00 प्रति पात्र प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान (स्पाट ग्रांट) तुरन्त स्थल पर भुगतान हेतु । निदेशक स्तर पर, कमेटी की संस्तुति पर तथा आकस्मिक अनुदान में प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस पर जनपदों से निदेशालय में प्राप्त 70 प्रतिशत अंश की धनराशि के 12 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं की जा सकती ।

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ0प्र0 द्वारा संचालित निम्नलिखित स्थानीय निधियों से विभिन्न स्तर प्राधिकृत प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली आकस्मिक अनुदान एवं वित्तीय सहायता का विवरण

संचालित निधि का नाम	आकस्मिक/ वित्तीय सहायता स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी	आकस्मिक अनुदान की प्रतिपात्र प्रतिवर्ष सीमा	दातव्य निधि समिति की सिफारिश पर वित्तीय सहायता विविध कारणों में	सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष का व्यय प्रतिशत	मन्तव्य	
भू0पू0सैनिक दातव्य निधि	(अ) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी	1000/-		2	8	दोनों मदों में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में इस मद में व्यय पूर्व वर्ष में जिला स्तर पर झंडा दिवस पर जिले द्वारा एकत्रित धन राशि के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
	(ब) जिलाधिकारी	2500/-	-- तदैव --	2	16	18 प्रतिशत से अधिक न हो -तदैव
	(स) निदेशक	3000/-	--तदैव --	2	10	12 प्रतिशत से अधिक न हो-तदैव
	(अ-1) प्रमुख सचिव सैनिक कल्याण विभाग, सदस्य, सैनिक दातव्य निधि	5000/-	---	2	10	
	(अ-2) समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	7500/-	---	2	10	
	(ब) मा0 मंत्री समाज एवं सैनिक कल्याण तथा उपाध्यक्ष दातव्य निधि समिति	10000/-	---	3	30	33 प्रतिशत-तदैव
	(य) मा. मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष सैनिक दातव्य निधि समिति	कोई सीमा नहीं	--- तदैव --	5	35	40 प्रतिशत-तदैव

वित्तीय सहायता

(अ) सामान्य भूतपूर्व सैनिक,विधवा एवं उनके आश्रित को	रु0 1000/- से 1200/- तक
(ब) भूतपूर्व सैनिक जो किसी घातक बीमारी जैसे कैंसर, टी0बी0 आदि ।	रु0 1200/- से 2000/- तक
(स) द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक विधवा तथा उनके आश्रित	रु0 1200/- से 2000/- तक
(द) विधवा, युद्ध विधवा जिसे पेंशन मिलती हो पर आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध न हो ।	
(य) विधवा/युद्ध विधवा जिन्हें किसी प्रकार की पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं है और वे कहीं सेवारत नहीं हैं और न ही उनकी कोई देखरेख करने वाला है और बच्चे 21 वर्ष की उम्र से छोटे हैं ।	रु0 2000/-
(र) शारीरिक रूप से अपाहिज जैसे अंधा,लूला, लंगडा, कोढी आदि भूतपूर्व सैनिक ।	रु0 2000/- से 3000/- तक

नोट:- आय सीमा रु0 3000/- प्रतिमाह से कम होनी चाहिए।

निधि का नाम	स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी	वित्तीय सहायता राशि सीमा	मन्तव्य
भूतपूर्व सैनिक विजय निधि (विक्ट्री फंड)	निदेशक सैनिक कल्याण	200/- प्रतिपात्र प्रतिवर्ष	इस मद मे सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष मे रु0. 5000/- से अधिक व्यय न हो ।
	निदेशक सैनिक कल्याण	10,000/-	बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक के आकस्मिक निधन पर एक मुश्त उसके विधिक उत्तराधिकारी को एक मुश्त आर्थिक सहायता । इस मद मे सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में 1,00,000/- से अधिक व्यय न हो ।
	निदेशक सैनिक कल्याण	10,000/-	दैविक आपदा से बेरोजगार भूतपूर्व सैनिको के निजी एक मुश्त आवासीय घर की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता । सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष मे इस मद में रु. 1,00,000/- से अधिक व्यय न हो ।

सैनिक कल्याण विभाग

महत्वपूर्ण दूरभाष

<u>नाम</u>	<u>कार्यालय नम्बर</u>	<u>आवास नम्बर</u>
<u>शासन स्तर पर</u>		
सुश्री मायावती	2215501	2236838
मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०	2236181	2235599
श्री बलविन्दर कुमार प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	2237202	2301016
श्री भूपेन्द्र सिंह सचिव, समाज कल्याण	2237629	
डा० एस० एस० सिंह विशेष सचिव, सैनिक कल्याण	2238701	2206845
<u>निदेशालय सैनिक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ</u>		
मेजर जनरल वी० के० जैन (अ०प्र०)	2625354	
निदेशक	2623909	
कर्नल ए० के० पाण्डेय (अ०प्र०)	2625354	
उपनिदेशक	2623909	
ग्रुप कैप्टन राजेश जी श्रीवास्तव (अ०प्र०)	2625354	
उपनिदेशक	2623909	
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह वित्त एवं लेखाधिकारी	2625354 2625354	
<u>उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, लखनऊ</u>		
मेजर जनरल वी०के० जैन(अ०प्र०)	0522-2442212	
प्रबन्ध निदेशक	0522-2446212	
	0522-6543780	
	0522-6570923	
<u>उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि, राजभवन, सचिवालय, लखनऊ</u>		
सचिव	0522-2239523	0522-2446696

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय तथा दूरभाष

क्रम सं०	जनपद का नाम	दूरभाष
1	आगरा	0562-2260549
2	अलीगढ़	0571-401763
3	इलाहाबाद	0532-2608454
4	अम्बेडकर नगर	05271- 246818
5	आजमगढ़	05462-220820
6	बदायूँ	05832-267122
7	बहराइच	05252-234775
8	बलिया	05498-220350
9	बलरामपुर	05263 -235086
10	बाँदा	05192-2853929
11	बाराबंकी	05248-222565
12	बरेली	0581-2421794
13	बस्ती	05542-246670
14	बिजनौर	01342-262994
15	बुलंदशहर	05732-225562
16	चन्दौली	05412-260126
17	चित्रकूट	05198-236475
18	देवरिया	05568-222450
19	एटा	05742-233753
20	इटावा	05688-254167
21	फैजाबाद	05278-222184
22	फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)	05692-234659
23	फतेहपुर	05180-224232
24	फिरोजाबाद	05612-230944
25	गौतमबुद्ध नगर	0120-2544814
26	गाजियाबाद	0120-2702643
27	गाजीपुर	0548-2220240
28	गोंडा	05262-23516
29	गोरखपुर	0551-2337643
30	हमीरपुर	05282-222319
31	हरदोई	05852-234733

32	हाथरस(महामाया नगर)	05722- 237906
33	जालौन	05162-252798
34	जौनपुर	05452-261110
35	ज्योतिबाफुले नगर	05922-253747
36	झाँसी	0517-2470049
37	कानपुर देहात	05111-286033
38	कानपुर नगर	0512-2306648
39	कौशाम्बी	05331-235642
40	खीरी	05872-252757
41	कुशीनगर	05564-246210
42	लखनऊ	0522-2622367
43	महाराजगंज	05523 -223863
44	महोबा	05281-256164
45	मैनपुरी	05672-234890
46	मथुरा	0565-2505749
47	मऊ	0547-2225816
48	मेरठ	0121-2644551
49	मिर्जापुर	05442-256372
50	मुरादाबाद	0591-2412260
51	मुजफ्फरनगर	0131-2405723
52	पीलीभीत	05882-258882
53	प्रतापगढ़	05342-220891
54	रायबरेली	0535-2203554
55	रामपुर	0595-2350022
56	सहारनपुर	0132-2643629
57	संत रविदास नगर	05414-251229
58	शाहजहाँपुर	05842-223005
59	श्रावस्ती	05250-222654
60	सिद्धार्थनगर	05544-220345
61	सीतापुर	05862-242055
62	सोनभद्र	05444-223885
63	सुल्तानपुर	05362-22416
64	उन्नाव	0515-2820544
65	वाराणसी	0542-2508254

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उ0प्र0

द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण में किये जाने वाले मुख्य कार्य

महानिदेशक पुनर्वास, नई दिल्ली, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सेना के तीनों अंगों एवं व्यावसायिक संगठनों से समन्वय स्थापित कर मुख्य कल्याणार्थ कार्य किए जाते हैं जो प्रस्तरवार निम्नवत हैं ।

पुनर्वास:-

1. रोजगार (सेवायोजन)

सेना से सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों का पंजीकरण सेवायोजन हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में कराने का प्राविधान है ।

आरक्षण :-

1. केन्द्रीय सरकार द्वारा नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को निम्नलिखित आरक्षण प्रदान किया गया है :-

	समूह 'ग'	समूह 'घ'
केन्द्रीय सरकार	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बैंक	14.5 प्रतिशत	24.5 प्रतिशत

2. उ0 प्र0 सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को सेवायोजित करने के लिये प्रदेश में समूह 'ग' तथा 'घ' में **5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान** किया गया है ।
3. भूतपूर्व सैनिकों को सेवायोजित करने हेतु विभिन्न संस्थाओं/विभागों से प्राप्त रिक्त पदों पर सेवायोजित करने के लिये संबंधित जनपदों के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों को अवगत कराना तथा पात्र भूतपूर्व सैनिकों के नाम प्रेषित करवाने हेतु निर्देशित कराना ।
4. भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिक पत्नियों के सेवायोजन हेतु पंजीकरण की कार्यवाही जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों द्वारा कराया जाता है तथा समीक्षा एवं प्रगति की जाती है ।
5. भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिक पत्नियों की जनगणना तथा परिचय-पत्र की कार्यवाही जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों द्वारा करवाई जाती है तथा समीक्षा एवं प्रगति की जाती है ।
6. राज्य सरकार द्वारा युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सेवायोजन में प्राथमिकता प्रदान की जाती है ।
7. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को सेवायोजन हेतु आयु-सीमा में सैन्य सेवा में की गई कुल सेवा के अतिरिक्त तीन वर्ष की छूट दी गई है ।

2. स्वतः रोजगार -

(क) योजनायें -

- (1). **सैम्फैक्स - 2 योजना-** पुनर्वास महानिदेशालय, नई दिल्ली तथा नाबार्ड के सहयोग से यह योजना वर्ष 1988-89 से संचालित की गयी है । यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, परन्तु डेरी और पोल्ट्री के लिए ऋण शहरी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है । यह योजना नाबार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जिले की लीड बैंक, की विशेष भूमिका है । कामर्सियल बैंक, जिला/राज्य केन्द्रीय सहकारी बैंको के द्वारा ऋण उपलब्ध कराने का प्राविधान है । इस योजना के दो भाग हैं, फार्म सेक्टर और नान फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर के लिए ऋण सीमा निर्धारित नहीं हैं । नान फार्म सेक्टर के लिए 7.5 लाख तथा 10.00 लाख ऋण सीमा निर्धारित है । इस योजना में आयु सीमा निर्धारित नहीं हैं, अर्थात आयु सीमा का कोई प्राविधान नहीं है परन्तु आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए । आवेदक ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित चार प्रतियों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी जाँच कर आवेदन पत्र बैंक को वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त कर और अहर्ताएं पूर्ण करा कर भेजेगे । इस तरह आवेदक को ऋण उपलब्ध कराया जाता है । लीड बैंक की बैठकों की अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय करते है तथा भूतपूर्व सैनिकों को ऋण प्राप्त करने के दौरान होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी भी उस बैठक में भाग लेते है तथा निवारण हेतु अपने विचार व्यक्त करते है । **सैम्फैक्स-2 योजना हेतु प्रत्येक जनपद के लिये 02 भूतपूर्व सैनिक प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा गया है ।**
- (2). **सैम्फैक्स - 3 योजना-** डी0जी0आर0 तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से यह योजना वर्ष 1992-93 से संचालित की गयी है । यह योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए है । इस योजना में ऋण खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है । इस योजना में सीधे बैंक से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है । आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, परन्तु आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए । आवेदक ऋण प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी जाँच कर आवेदन पत्र को जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी या बैंक को, वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त करा कर और अहर्ताएं पूर्ण करा कर आवेदक को ऋण उपलब्ध कराया जाता है । **सैम्फैक्स-3 योजना हेतु प्रत्येक जनपद के लिये 02 भूतपूर्व सैनिक प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा गया है ।**
- (3). **नेशनल इक्विटी फन्ड स्कीम-** यह योजना भी डी0 जी0 आर0 तथा एस0आई0डी0बी0आई0 के सहयोग से वर्ष 2000-2001 से संचालित की गई थी परन्तु सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 01 मई, 2007 से स्कीम बन्द कर दी गयी है ।
- (4). **वित्त पोषण योजना-** यह योजना राज्य स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों तथा दिवंगत सैनिक की पत्नियों को स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए ऋण दिलाकर उन्हें पुनर्वासित कराने के लिए वित्त पोषण योजना 1985-86 से संचालित की गई हैं, परन्तु योजना में प्रभावी प्रगति वर्ष 1992-93 से हुई है । यह योजना भूतपूर्व सैनिकों के लिए लाभकारी है, इस योजना की अवधि सम्भवतः 5-5 वर्ष की अर्थात 5 वर्ष के बाद अवधि बढ़ाई जाती है । वर्तमान में यह योजना 31-3-2007 तक लागू थी । यह योजना भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों के लिए है, शर्त है कि वे उत्तर प्रदेश के निवासी हो । इस योजना में उद्योग तथा व्यापार दोनों के लिए ऋण प्राप्त करने का प्राविधान है । इस योजना में भी आयु सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है । इस योजना में अधिकतम ऋण सीमा रुपये 50,000/- है । यह योजना में बैंको द्वारा निर्धारित ब्याज दर लागू हैं, परन्तु 7 प्रतिशत से ऊपर लिया गया ब्याज निधि द्वारा वापस किया जायेगा । वर्तमान में निधि द्वारा 1.00 लाख रुपये

तक 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है । छूट प्राप्त करने के लिए ऋण प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर कार्यवाही करना अनिवार्य है । संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0 के निर्देश पर इस योजना में कामर्सियल बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान करने का प्राविधान है । इस योजना में 5 प्रतिशत मार्जिन मनी देय है । ₹0 5,000/- से ऊपर के लिए गये ऋण पर सिक्क्यूरिटी देय है । इस योजना में ऋण वापसी 5 वर्ष में होगी । **वित्त पोषण योजना हेतु प्रत्येक जनपद के लिये 02 भूतपूर्व सैनिक प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा गया है ।**

(ख) आर्मी की सर-प्लस गाड़ियों के आवंटन :-

आर्मी की सर-प्लस गाड़ियों के आवंटन के आवेदन पत्र पूर्ण चेक करके डी.जी.आर. को भेजा जाना । जनपदों से प्राप्त आर्मी की सर-प्लस गाड़ियों के आवंटन हेतु आवेदन पत्रों का अग्रसारण डी0जी0आर0 को किया जाता है । जनपद के कवरिंग लेटर के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-

- (1) आवेदन पत्र 4 प्रतियों में ।
- (2) ऐफिडेविट 4 प्रतियों में ।
- (3) डिस्चार्ज बुक (फोटो स्टेट) 4 प्रतियों में ।
- (4) बैंक ड्राफ्ट (मूल एक छाया प्रति तीन) ।

(ग) कारगिल शहीदों के आश्रितों को आवंटित पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी

1- उत्तर प्रदेश में कारगिल शहीदों की संख्या - 75

जिसमें से 45 शहीद आश्रितों को पेट्रोल पम्प का आवंटन हुआ है और 26 शहीद आश्रितों को गैस एजेन्सी का आवंटन हुआ है ।

शेष चार (4) प्रकरण लम्बित हैं, जिसमें से :-

- (क) श्रीमती बीना मिश्रा माता शहीद कैप्टन आदित्य मिश्रा ने फिलहाल पेट्रोल पम्प निजी समस्याओं के कारण लम्बित रखा है । (लखनऊ में अनापत्ती प्रमाण पत्र उत्तरांचल के अल्मोड़ा जनपद से लेकर आयी है)
- (ख) श्रीमती मालती देवी पत्नी शहीद सिपाही जय प्रकाश यादव ने पुनः विवाह कर लिया है ।
- (ग) शेष दो लोगो का केस पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा पेट्रोलियम मंत्रालय को अग्रसारित किया है । (दोनों मथुरा जनपद से हाथरस जनपद में आना चाहती हैं)
- (घ) **ऑयल प्रोडक्ट एजेन्सी में सैन्य सेवाओं हेतु 8 प्रतिशत कोटे का आवंटन :-**

सैनिकों हेतु 8 प्रतिशत ऑयल प्रोडक्ट एजेन्सी के आवंटन की योजना

1. भारत सरकार पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय के पत्र सं० -पी.39012/1/1999-आईओसी दिनांक 09 अक्टूबर, 2000 के अन्तर्गत 8 प्रतिशत ऑयल प्रोडक्ट एजेन्सी आवंटन (एल0पी0जी0 एवं पेट्रोल पम्प) में निम्नलिखित श्रेणी के सैनिकों हेतु 1 से 5 तक की प्राथमिकता दी है :-

प्राथमिकता 1 - मरणोपरान्त वीरता पुरस्कार प्राप्त विधवा / आश्रित

प्राथमिकता 2 - युद्ध विधवा / आश्रित

प्राथमिकता 3 - युद्ध अपंग (जिसकी अपंगता 20 प्रतिशत या उससे अधिक हो

प्राथमिकता 4 - सैन्य सेवा में रहते हुये सैन्य सेवा के कारण मारे गये सैनिकों की विधवा/आश्रित

प्राथमिकता 5 - सैन्य सेवा में रहते हुये अपंग हुये सैनिक जिसकी अपंगता 20 प्रतिशत या अधिक हो ।

2. पात्रतायें :

(क) राष्ट्रीयता - भारतीय

(ख) प्रार्थनापत्र के समय आयु - विधवा 21 से 60 वर्ष आश्रित पुत्र/अविवाहित पुत्री 21 से 30 वर्ष, अविवाहित होने की दशा में माता पिता की आयु 60 वर्ष से ज्यादा न हो । आश्रित भाई/अविवाहित बहन की आयु 21 से 30 वर्ष ।

(ग) शैक्षिक योग्यता : हाई स्कूल या सैन्य सेवा में उसके समकक्ष योग्यता

(घ) आय : रू० 2 लाख प्रति वर्ष से कम ।

3. फार्म : 8 प्रतिशत डिफेंस कोटा एजेन्सी का विज्ञापन सम्बन्धित आयल एजेन्सियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है । जिसका प्रपत्र सम्बन्धित आयल एजेन्सी के डिवीजनल/रीजनल/एरिया अधिकारी को रू० 1000/- के भुगतान से प्राप्त किया जाता है ।

(ड) टिप्पर स्कीम योजना :-

1. यह स्कीम विधवा / विकलांग / आश्रितों के लिए है ।

2. प्रात्रताएं हेतु शर्तें :-

(क) सैनिक की मौत सर्विस के दौरान हुई हो ।

(ख) विकलांग भूतपूर्व सैनिक हेतु ।

(ग) 25 साल से कम पुत्र तथा अविवाहित पुत्री हो ।

3. एक टिप्पर भूतपूर्व सैनिक कोयला ट्रान्सपोर्ट कम्पनी को प्रायोजित ।

4. नियम एवं शर्तें :-

(अ) लोन प्रोसेसिंग फीस, बीमा, रोड टैक्स, मार्जिन मनी जो कि टिप्पर स्कीम खरीदार के द्वारा वहन की जायेगी (लगभग रूपया 85,000/-)

(ब) भूतपूर्व सैनिक कम्पनी, टिप्पर को चालू रखने, रखरखाव एवं लोन की अदाएगी की जिम्मेदारी होगी ।

- (स) आवेदक को 3000/- रूपया प्रतिमाह पाँच साल तक मिलेगा (ब्याज दर लगभग 42 प्रतिशत)
(द) पाँच वर्ष के बाद आवेदक को शुरूआत में जमा किया गया रूपये 85,000/- वापस मिल जायेगा ।
(च) कम्पनी टिप्पर को अधिग्रहीत कर लेगी ।
5. इस स्कीम का रजिस्ट्रेशन एवं प्रायोजन महानिदेशालय, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेन्ट नई दिल्ली द्वारा किया जाता है ।

(च) पूर्व सैनिकों हेतु पुनर्वास प्रशिक्षण स्कीम 2010-2011

महानिदेशालय पुनर्वास, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, डायरेक्ट्रेट जनरल रिसेटलमेन्ट, वेस्ट ब्लॉक-4, आर0के0 पुरम,नई दिल्ली के द्वारा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास प्रशिक्षण हेतु वजट वहन किया जाता है । वर्ष 2010-2011 में मात्र रूपया चार लाख का वजट आवंटन किया गया है । जिसको रूपये बारह लाख किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

- (1) भूतपूर्व सैनिक जिन्हे सेना से अवकाश प्राप्त किये पाँच वर्ष से अधिक न हुआ हो, तथा सेना में कार्यरत रहते हुए डी0जी0आर0 द्वारा आयोजित कोई पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो ।
- (2) सेना में सेवाकाल के दौरान यदि सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पाँच साल के अन्दर उसकी पत्नी प्रशिक्षण पाने की पात्र है । किन्तु यह आवश्यक है कि सैनिक की मृत्यु के पश्चात् पत्नी ने दूसरी शादी न की हो । यदि किसी कारण वश पत्नी प्रशिक्षण नहीं लेना चाहती है तो उसके एक पुत्र/पुत्री को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जा सकता है बशर्ते पुत्र/पुत्री की आयु 25 वर्ष से अधिक न हो ।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रम:- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम महानिदेशालय पुनर्वास तथा नाबार्ड की सहायता से चलाये जाते हैं ।

- (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि आवंटित कर पूर्व सैनिक की पत्नियों एवं पुत्रियों को सिलाई, बुनाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।
- (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि आवंटित कर पूर्व सैनिकों को सुगंधित एवं औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।
- (ग) **पूर्व सैनिक आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण -**
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि आवंटित कर पूर्व सैनिक आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कराया जाता है ।
- (घ) **कम्प्यूटर प्रशिक्षण -**
भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को महानिदेशक पुनर्वास, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश सरकार से धन प्राप्त कर कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार द्वारा सैनिक कल्याण विभाग के कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ड) **नाबार्ड प्रशिक्षण -**

इसके लिए समस्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को स्वतः रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है जिससे वे लघु उद्योग स्थापित कर सकें ।

4. कल्याणकारी योजनाएं -

(1) **द्वितीय विश्वयुद्ध** के सैनिकों को अगस्त, 2008 से प्रतिमाह प्रतिपात्र की दर से रू0 2500.00 की पेंशन दी रही है । वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के 10350 पेंशनर हैं ।

(2) **कारगिल आपरेशन विजय:-**

(क) कारगिल आपरेशन विजय में शहीद सैनिकों के परिवारों को धनराशि रू0 10.00 लाख की एक मुश्त आर्थिक सहायता ।

(ख) शहीद सैनिक की 47 पत्नियाँ जो नौकरी करने की इच्छुक नहीं है को धनराशि रू0 5,000.00 प्रति माह प्रति पात्र की दर से पेंशन एवं 67 माता-पिता को रू0 2,500.00 प्रति माह प्रति पात्र की दर से पेंशन दी जा रही है । वर्तमान में अप्रैल, 2007 तक की पेंशन वितरित की जा चुकी है ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहीद सैनिक के परिवार राज्य सरकार की देनदारियों से माफी ।

(घ) कारगिल आपरेशन विजय 50 प्रतिशत से अधिक अपंगता युक्त सैनिकों को धनराशि रू0 2.00 लाख तथा 20 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक अपंगता युक्त सैनिकों को धनराशि रू0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

(च) शहीद सैनिक के आश्रित बच्चों को जो कि प्राइमरी, माध्यमिक व स्नातक स्तर के छात्र हैं को क्रमशः रू0 100.00, रू0 200.00 व रू0 300.00 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

(3) **वीरता पुरस्कार:-**

पदक	एक मुश्त अनुदान	एन्यूटी प्रति वर्ष जो 30 वर्षों तक
परमवीर चक्र	25,00,000.00	1,50,000.00
महावीर चक्र	15,00,000.00	1,14,000.00
वीर चक्र	10,00,500.00	66,000.00
सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,50,000.00	6,000.00
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	1,25,000.00	5,000.00
युद्ध सेवा मेडल	40,000.00	4,000.00
सेना, नौ सेना तथा वायु सेना मेडल	30,000.00	4,800.00
मेन्शन इन डिस्पैच	25,000.00	3,000.00

नान वीरता पुरस्कार

परम विशिष्ट सेवा मेडल	1,15,000.00	5,400.00
अति विशिष्ट सेवा मेडल	57,000.00	4,800.00
विशिष्ट सेवा मेडल	23,000.00	3,000.00

(4) उत्तर प्रदेश दातव्य निधि से आर्थिक सहायता:-

असहाय भूतपूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(5) भूमि आवंटन:-

भूतपूर्व सैनिकों को ग्राम सभा की फालतू भूमि के आवंटन में वरीयता तथा भू-खण्ड/निर्मित भवनों के आवंटन में 3 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है ।

(6) भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र तथा पुत्रियों को मेडिकल/इन्जीनियरिंग/व्यावसायिक कालेजों में सीटों में आरक्षण:-

मेडिकल में 2 प्रतिशत, इन्जीनियरिंग में 2 प्रतिशत, पालिटेक्निक में 5 प्रतिशत तथा आई0टी0आई0 में 8 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है ।

(7) शैक्षिक अर्हता में छूट:-

सेना में की गई 15 वर्ष की सेवा के उपरान्त सेवानिवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों को स्नातक के समकक्ष माना गया है ।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सिस सहायता संस्थान:-

इस संस्थान द्वारा युद्ध/सीमान्त झड़पों में शहीद/सैनिकों के आश्रितों के आश्रितों को एकमुश्त आर्थिक सहायता अधिकारी को रू0 1,50,000.00 तक एवं अपंग सैन्य अधिकारियों को रू0 90,000.00 एवं अन्य को रू0 45,000.00 दिया जाता है ।

(9) पवन तथा मेघदूत आपरेशन की शहीद सैनिकों की पत्नी/आश्रितों को रू0 15,000.00 प्रति शहीद परिवार तथा रू0 10,000.00 प्रति पात्र सेवा मुक्त अपंग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(10) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध विधवाओं को गृह कर से मुक्ति दिलाई गई ।

(11) जिला स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता ।

(12) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भवन/भूखण्ड/रू0 20,000.00 के अनुदान की सुविधा ।

भूतपूर्व सैनिकों का पँजीकरण

जनपद स्तर पर पँजीकरण हेतु भूतपूर्व सैनिक को प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होती है ।

- 1- सैन्य सेवा पुस्तिका (डिस्चार्ज बुक)
- 2- पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0)
- 3- स्वयं के तीन फोटो

उपरोक्त अभिलेख सम्बंधित जनपद के कार्यालय में सेना की सेवा की समाप्ति पर भूतपूर्व सैनिक सुविधाओं के लेने हेतु पँजीकरण पहचान पत्र बनाया जाता है ।

जनगणना

भूतपूर्व सैनिक का पहचान पत्र जनपद स्तर पर बनने के बाद भूतपूर्व सैनिक को जनगणना में ले लिया जाता है ।

भूतपूर्व सैनिक के मरणोपरान्त उनकी विधवाओं को पहचान पत्र जारी कर उन्हें भी जनपद की विधवाओं की श्रेणी में पहचान पत्र जारी व जनगणना में लिया जाता है ।

भूतपूर्व सैनिकों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की त्रैमासिक रिपोर्ट जनपदवार प्राप्त होती है । जनगणना सूचना आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में विभाजित रहती है । यह सूचना प्रत्येक त्रैमास के अन्त में आने वाले माह जैसे अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी में निदेशालय स्तर पर प्राप्त कर पुनर्वास महानिदेशालय, नई दिल्ली व केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को जनपदवार संकलित रिपोर्ट भेजी जाती है ।

ग्रामीण आवास योजना

ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत भू0पू0 सैनिकों, मृत भू0पू0 सैनिकों की पत्नियों को आवासीय सुविधा हेतु वर्ष 1999 से संचालित है

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले भू0पू0 सैनिकों /अर्धसैनिकों को, उनके परिवारों को बिना समय सीमा की बाधा के आवास आवंटित करने में प्राथमिकता दी जायेगी ।

यह योजना प्रदेश के उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किये जाने का प्राविधान है जो महानगरों और बड़े कस्बों में 20 किलोमीटर की दूरी पर हो और छोटे तथा मध्यम कस्बों में 05 कि0मी0 की दूरी पर हों ।

इस योजना में आवास की कुल लागत 40,000/- है । इस योजना के अन्तर्गत रु0 10,000/- की धनराशि जो अनुदान के रूप में लाभार्थी को दी जानी है, उसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जायेगी ।

प्रत्येक इच्छुक भूतपूर्व सैनिक एवं विधवा अपने जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से सम्पर्क कर पूर्ण जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं ।

इन्दिरा आवास योजना

प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना संचालित है । भू0पू0 सैनिकों व अर्ध सैनिक बलों एवं मृत सैनिकों व अर्ध सैनिक बलों की विधवाओं व उनके परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाना है ।

भू0पू0 सैनिकों /विधवाओं की आमदनी वार्षिक 19,884.00(गरीबी रेख से नीचे) से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

जो भू0पू0 सैनिक लडाई के दौरान शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों/विधवाओं के लिये इन्दिरा आवास योजना में आय में पूरी पूरी छूट है अर्थात उनका गरीबी रेख से नीचे होना आवश्यक नहीं है ।

इन्दिरा आवास निर्माण के लिये स्वच्छ शौचालय निर्धूम रहित चूल्हा प्रति आवास रु0 25,000.00 तथा कच्चे आवासों के जीर्णोद्धार हेतु (अप ग्रेडेशन के लिये) रु0 12,500,00 देय है ।

इच्छुक जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है ।

प्लान

उद्देश्य :-

सैन्य सेवा में लगभग 20 प्रतिशत सैनिक उ0प्र0 के हैं । सेना को चुस्त एवं दुरुस्त बनाये रखने के लिये इन सैनिकों को ऐसे समय में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है जब इनकी उम्र लगभग 37-47 वर्ष के बीच होती है । ऐसे भू0पू0 सैनिक सेना में सेवा के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए अत्यधिक जोखिम भरी जगहों पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं । सेवानिवृत्त के उपरान्त उन्हें पुनर्योजित की चिन्ता न रहे तथा उनके मनोबल को ऊँचा बनाये रखने के लिये सरकार द्वारा निदेशालय सैनिक कल्याण एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जाती है । जिनका विवरण निम्नवत है :-

1- कार्यालय भवन एवं विश्राम गृह का निर्माण-

पूर्व सैनिकों का सेवा निवृत्त के उपरान्त अपने नये जीवन की शुरुआत करते समय आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक जनपद में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की व्यवस्था की गई है ।

जनपद के दूर दराज के पूर्व सैनिक जब किसी काम से जिला मुख्यालय या उ0प्र0 के अन्य जिला मुख्यालयों में जाते हैं तो उनके निवास की सुविधा उपलब्ध हो इस कारण विश्राम गृह का निर्माण कराया गया है ।

2- कम्प्यूटर प्रशिक्षण :-

आज के आधुनिक युग में कम्प्यूटर के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है । ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिक आश्रित रोजगार प्राप्त कर सके इसके लिए निदेशालय/जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण संचालित किया जाता है । जिसका प्रचार प्रसार समय समय पर किया जाता है ।

3. पूर्व सैनिक आश्रितों को सेना मे अधिकारी के पद पर चयन हेतु एस.एस.बी. कोचिंग :-

ऐसे पूर्व सैनिक आश्रित जो सेना मे अधिकारी पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा तो पास कर लेते है लेकिन उसके उपरान्त सेना चयन बोर्ड द्वारा चयन प्रक्रिया की कार्यवाही के बारे में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उसके लिये सरकार द्वारा निशुल्क कोचिंग दी जाती है । जिसका समस्त व्यय भार उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है । समय समय पर निदेशालय/जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा इनका प्रचार प्रसार किया जाता है । इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों मे इस सम्बन्ध मे पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं ।

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि, राज्यपाल सचिवालय लखनऊ

द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों हेतु वर्तमान में चलाई जा रही योजनायें तथा नियमावली

उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि का गठन

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत नोटीफिकेशन संख्या 468/48/83 एस0के0-11-2(13)/79 दिनांक 15 फरवरी 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश पोस्टवार सर्विसेज रिकान्स्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा उ0प्र0 स्पेशल फण्ड फार रिकान्स्ट्रक्शन एण्ड रिहैबिलिटेसन आफ एक्स-सर्विसमेन को मिलाकर उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया है।

निधि द्वारा संचालित योजनाएँ (केवल उत्तर प्रदेश के भू0पू0 सैनिकों के लिये)

(अ) शैक्षिक सहायता (प्रतिवर्ष)

कक्षा 9 से 10	रु0 400/-
कक्षा 11 से 12	रु0 500/-
बी0ए0 तथा बी0काम0	रु0 600/-
बी0एस0सी, एम0ए0 तथा एम0काम0	रु0 700/-
एम0एस0सी0	रु0 800/-
प्राविधिक शिक्षाओ के लिये	रु0 700/- से रु0 800/- तक
आई0टी0आई0 सर्तिफिकेट कोर्स जिनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से नीचे हो	रु0 600/-
डिप्लोमा कोर्स या सर्तिफिकेट कोर्स जिनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से ऊपर हो	रु0 1,000/-
डिग्री कोर्स (प्राविधिक)	रु0 1,500/-
एम0बी0बी0एस0, बी0टेक0	रु0 2,500/-
किसी पंजीकृत कोचिंग सेन्टर/संस्था में से किसी विशेष कार्यों की कोचिंग हेतु	रु0 1,000/-
किसी भी विषय में शोध करने वाले विद्यार्थी	रु0 5,000/-

अर्हताएँ

शैक्षिक सहायता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ आवश्यक हैं :-

- (1) शिक्षण/प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होते ही प्रतिवर्ष प्रार्थना पत्र 31 अक्टूबर तक इस कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य है।

- (2) कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने में 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- (3) कक्षा 11 से तथा इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
- (4) सामान्य शिक्षा के विद्यार्थी की आयु 22 वर्ष तथा कोचिंग/प्राविधिक शिक्षा के विद्यार्थी की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। भूतपूर्व सैनिकों की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।
- (5) शैक्षिक सहायता मात्र दो बच्चों को ही अनुमन्य है।
- (6) अविवाहित पुत्रियों के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु आयु की सीमा 30 वर्ष अथवा विवाह होने तक जो पहले हो।
- (7) कोचिंग प्राप्त कर रहे विद्यार्थी द्वारा पूर्व परीक्षा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (8) यदि भू0पू0 सैनिक जीवित नहीं है तो जे0सी0ओ0 रैंक तक के भू0पू0 सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी। जीवित होने की दशा में केवल हवलदार रैंक तक के भू0पू0 सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देय होगी।
- (9) शोध कार्य हेतु परास्नातक उपाधि में 60 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण होना चाहिये। वर्ष में केवल दो शोधकर्ताओं को मेरिट के आधार पर ही छात्रवृत्ति देय होगी।

(ब) **भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता**

भूतपूर्व सैनिकों (जे0सी0ओ0 रैंक तक) की विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु रू0 10,000/- की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

अर्हताएँ

- (1) निधि द्वारा जारी आवेदन प्रपत्र पर माँगी गयी सूचनाओं को पूर्ण कर संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के माध्यम से आर्थिक सहायता हेतु निधि कार्यालय में भेजा जाये।
- (2) विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
- (3) प्रार्थना पत्र विवाह की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में आना अनिवार्य है अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(स) **भू0पू0 सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट देना**

भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण पर निम्न प्रकार छूट प्रदान की जाती है :-

- (1) रू0 10,000/- तक के ऋण पर ऋण का 15 प्रतिशत छूट देय है।
- (2) रू0 10,000/- से ऊपर तथा रू0 1,00,000/- तक के ऋण पर ऋण का 10 प्रतिशत तथा कम से कम रू0 1,500/- की छूट प्रदान की जाती है।

अर्हताएँ

- (1) निधि द्वारा जारी आवेदन प्रपत्र पर मॉगी गयी सूचनाओं को पूर्ण कर संबंधित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के माध्यम से आर्थिक सहायता हेतु निधि कार्यालय में भेजा जाये।
- (2) कैश क्रेडिट लोन पर छूट देना अनुमन्य नहीं है।
- (3) ₹0 1,00,000/- अथवा किशतों में लिये गये ऋण जिसकी अधिकतम सीमा ₹0 1,00,000/- है, की ऋण अदायगी लिये गये ऋण के हिसाब से की जायेगी।
- (4) प्रार्थना पत्र ऋण अदायगी की प्रथम किशत की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(द) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति

(1) सामान्य चिकित्सा

सामान्य चिकित्सा के अन्तर्गत एक भू0पू0 सैनिक परिवार को एक वर्ष में ₹0 1,000/- तक भुगतान किया जाता है।

(2) विशेष चिकित्सा

कैन्सर, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा आदि विशेष श्रेणी की चिकित्सा हेतु कुल व्यय का 75 प्रतिशित या ₹0 40,000/- जो भी कम हो, आर्थिक सहायता दी जाती है।

- (3) उपरोक्त दोनों प्रकार की चिकित्सा में भर्ती के दिनों के लिये बीमार व्यक्तियों को अधिकतम 120 दिनों तक ₹0 15/- प्रतिदिन तथा परिचारक को ₹0 10/- प्रतिदिन भत्ता देय है। घर से अस्पताल तक जाने-आने के लिये बस तथा द्वितीय श्रेणी के रेल का किराया भी दिया जाता है। यदि चिकित्सक द्वारा विशेष खुराक हेतु संस्तुति की जाती है तो ₹0 10/- प्रतिदिन की दर से विशेष खुराक हेतु भुगतान किया जाता है। टी0बी0 की बीमारी के मरीजों को चिकित्सक की संस्तुति पर 9 माह तक विशेष खुराक हेतु ₹0 10/- प्रतिदिन दिया जाता है।
- (4) चश्मा भुगतान हेतु रसीद प्रस्तुत करने पर ₹0 250/- तक भुगतान एक भूतपूर्व सैनिक को एक बार किया जायेगा।
- (5) यदि कोई बीमार या दुर्घटनाग्रस्त सैनिक को टैक्सी से अस्पताल ले जाया जाता है तथा उसकी हालत ट्रेन या बस से ले जाने लायक नहीं होती तो चिकित्सक की संस्तुति पर वास्तविक व्यय या ₹0 1,000/- जो कम होगा, भुगतान किया जायेगा।

अर्हताएँ

- (1) चिकित्सा सरकारी अस्पताल एवं आर्मी अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट के अस्पताल से कराना आवश्यक है।
- (2) प्रार्थना पत्र अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निधि कार्यालय में प्राप्त होना चाहिये अन्यथा कालातीत माना जायेगा।

(3) क्रय की गयी दवाइयों के नकद पर्चे चिकित्सक द्वारा सत्यापित होने चाहिये। डाक्टर द्वारा निर्धारित दवाइयों हेतु ही भुगतान किया जायेगा।

(य) **भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को सिलाई/बुनाई मशीन सहायता**

भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई मशीन क्रय करने हेतु रू9 1,500/- तथा बुनाई मशीन हेतु रू0 3,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

अर्हताएँ

विधवाओं द्वारा सिलाई अथवा कढ़ाई में किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र/संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिये।

(र) **निधि कार्यालय से स्पॉट ग्रान्ट तथा अनकवर्ड स्कीम ग्रान्ट का भुगतान**

यह अनुदान अभावग्रस्त/निराश्रित भूतपूर्व सैनिकों/आश्रितों तथा विधवाओं को उनकी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप निधि कार्यालय से विवेकानुसार दिया जाता है।

उ०प्र० पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सस सहायता संस्थान

अनुग्रह अनुदान

(अ) वीरगति को प्राप्त मामलों में :	पुनरीक्षित दर दि. 13.11.2009 व उसके बाद के मामलों में रू०
1. कमीशण्ड आफिसर	2,50,000/-
2. जूनियर कमीशण्ड आफिसर	2,50,000/-
3. अन्य श्रेणी	2,50,000/-

(आ) स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में:	पुनरीक्षित दर दि. 13.11.2009 व उसके बाद के मामलों में रू०
1. कमीशण्ड आफिसर	1,00,000/-
2. जूनियर कमीशण्ड आफिसर	1,00,000/-
3. अन्य श्रेणी	1,00,000/-

(ब) जीवन निर्वाह हेतु :	दि. 13.11.2009 से पुनरीक्षित दर
-------------------------	---------------------------------

एक मुश्त एक बार हवलदार रैंक तक के मामलों में ही सहायता प्रदान की जाती है ।

नोट : यह सहायता केवल उन्हीं मामलों में प्रदान की जायेगी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वास्तव में जीवन - यापन करना कठिन हो गया हो ।

(स) लडकियों की शादी हेतु :	दि. 13.11.2009 से पुनरीक्षित दर
----------------------------	---------------------------------

(शादी के समय आयु 18 वर्ष की हो) 60,000/-
यह सहायता हवलदार रैंक तक के मामलों में ही प्रदान की जाती है ।

नोट : विवाह हेतु केवल वो ही प्रार्थना - पत्र भेजे जायें जिनमें विवाह की तिथि 13.11.2009 या उसके पश्चात् की हो । इन मामलों में केवल 13.11.2009 से लागू दरों पर ही भुगतान किया जायेगा । उपरोक्त स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत प्रमाण - पत्र में अपना विकल्प अंकित करना होगा । यह सहायता हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक्स तक के मामलों में ही अनुमन्य हैं ।

(द) विशेष चिकित्सा हेतु :-

जैसे :- कैंसर, हृदय प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी व मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा हेतु सहायता ।

प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 28.7.1999 से इस प्रतिबंध के साथ विशेष चिकित्सा अनुदान स्वीकृत किया गया कि यह सहायता सेना के हवलदार रैंक तक तथा पुलिस एवं पी.ए.सी. के संबंधित समतुल्य रैंक्स तक के संस्थान के लाभभोगियों एवं उनके आश्रितों को किसी सरकारी, सेना, अस्पताल, संजय गॉंधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं आर्मी कमाण्ड अस्पताल जिनमें भी मामला

संदर्भित किया जाये, वहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सक की संस्तुति पर अनुमानित व्यय का 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सहायता के रूप में अनुमन्य होगी ।

(प) वार्षिक शिक्षा अनुदान दिये जाने के नियम :-

1. इन नियमों को वार्षिक शिक्षा अनुदान कहा जायेगा । यह सामान्य शिक्षा और प्राविधिक, मैनेजीरियल, व्यवसायिक या कृषि पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण आदि के लिये ड्यूटी के दौरान हुई दुर्घटना मृत्यु (यथा - सीमा पर अभियान हेतु आने जाने के दौरान दुर्घटनावश गाडी पलट जाने/गाडी लड जाने अथवा किसी चीज से टकरा जाने पर ,सॉप काट लेने पर, हृदयगति रुक जाने के कारण, आँधी तूफान से टेन्ट गिरने के कारण, नदी - नाला पार करते समय उसमें गिरने के कारण एवं आदि प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई रूप से अपंग घोषित उक्त श्रेणी के सैन्य बल/पुलिस/पी.ए.सी. के हवलदार रैंक तक एवं समतुल्य रैंक तक के मामलों में ही अनुमन्य है ।)

2. **वार्षिक शिक्षा सहायता हेतु अर्हताएं :-**वार्षिक शिक्षा अनुदान केवल उन्हीं मामलों में प्रदान किया जायेगा जिन्होंने कम से कम नीचे दिये गये प्रतिशतों के अंतर्गत अपने अन्तिम वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किये हों :-

(ए) सामान्य शिक्षा :-

1.	हाई स्कूल की कक्षाओं तक	48 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये
2.	इण्टरमीडियट कक्षाओं	50 प्रतिशत तदैव
3.	स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे -बी.एस.सी./बी.ए./बी.,काम./एम, एस.सी/एम.ए./एम.काम./एल.एल.बी./ बी.एस.सी.(लिव.)/एल.एल.एम./बी.एस.सी. (ए.जी.)/एम.एस.डब्ल्यू/बी.एड./एम.एड. /एल.टी.	50 प्रतिशत तदैव
4.	पी.एच.डी. (शोधकार्य) एल.एल.डी. तथा एम.फिल.	60 प्रतिशत तदैव

(बी) प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा :

1.	प्रमाण -पत्र पाठ्यक्रम	50 प्रतिशत अंक अन्तिम परीक्षा में होने चाहिये
2.	डिप्लोमा	50 प्रतिशत तदैव
3.	डिग्री पाठ्यक्रम	50 प्रतिशत तदैव

(सी) उन विद्यार्थियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान की जायेगी जो निजी संस्थानों में चार्टर्ड एकाउटेसी, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि ले रहे हैं ।

(डी) वार्षिक शिक्षा अनुदान उन मामलों में भी दिया जायेगा जिसमें रेगुलर वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है । इन मामलों में केवल अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नति ही पर्याप्त होगी ।

3. वार्षिक शिक्षा अनुदान की दरें :-

सामान्य शिक्षा दरें विभिन्न कक्षाओं/पाठ्यक्रमों के लिये निम्नानुसार हैं :-

	वार्षिक दर 13.11.2009 से पुनरीक्षित दरें
1. 9 से 10 तक	1600/-
2. 11 से 12 तक	2000/-
3. बी.एस.सी./बी.ए./बी.काम./बी.टी.सी. बी.एस.सी.(लिव.)/एल.एल.बी./बी.एस.सी. (ए.जी.)/बी.एड./एल.टी./एम.ए. तथा एम,काम,	2800/-
4. एम.एस.सी/एल.एल.एम./एम.एम.सी.(ए.जी.) एम.एस.डब्ल्यू/एम.एड. तथा एम.बी.ए.	3200/-
5. पी.एच.डी./एल.एल.डी. तथा एम.फिल (शोधकार्य में दी जाने वाली आर्थिक सहायता मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी ।)	20000/-
6. कोचिंग के लिये (प्रतियोगात्मक परीक्षा/उच्च शिक्षा) मेरिट के आधार पर केवल दो छात्रों को अनुमन्य होगी ।	4000/-
4. प्राविधिक/मैनेजीरियल/व्यवसायिक शिक्षा :-	
1. आई.टी.आई. सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल से नीचे या बराबर हो ।	3200/-
2. सार्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम जहाँ पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल के ऊपर या उसके समकक्ष हो ।	4000/-
3. डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बी.बी.एम.सी./बी.डी.एस./ बी.यू.एम.एस./बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस.	6000/-
4. बी.टेक.एम.टेक, तथा एम.बी.बी.एस.	10000/-
5. कम्प्यूटर शिक्षा हेतु डायरेक्टर ऑफ टैक्निकल एजुकेशन,डिपार्टमेन्ट ऑफ इलेक्ट्रानिक (भारत सरकार) या किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर शिक्षा में एक वर्ष अथवा उससे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रति प्रशिक्षार्थी को आर्थिक साह्यता अनुमन्य ।	20000/-

5. शोधकार्य के लिये वार्षिक शिक्षा 20000/- वार्षिक की दर से भुगतान किया जायेगा परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि लाभार्थी को कोई वार्षिक शिक्षा सहायता किसी अन्य स्रोत जैसे कि यू.जी.सी. से न मिलता हो । इस पाठ्यक्रम के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जाँच करके प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में विचार किया जायेगा । इस संबंध में समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

6. यदि विद्यार्थी को फीस में कोई छूट या आर्थिक सहायता/शिक्षा सहायता/स्कालरशिप के रूप में किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हो तो संस्थान से वार्षिक शिक्षा अनुदान जिसका वह पात्र होगा, उसे प्राप्त होने वाली धनराशि की सीमा तक कम करते हुये भुगतान किया जायेगा । वार्षिक शिक्षा अनुदान की स्वीकृति संबंधित छात्र के आचरण एवं प्रगति,संस्थान के प्रधान द्वारा संतोषजनक पाये जाने पर ही निर्भर होगी ।

30प्र0 सैनिक विजय निधि (विक्ट्री फंड)

विक्ट्री फंड में विनियोजित प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज इसके आय के स्रोत है । ब्याज की धनराशि से निम्न मदों पर व्यय किया जाता है :-

1. जिला सैनिक परिषद के कल्याणकारी बैठकों के आयोजन हेतु नियत वार्षिक अनुदान ।
2. प्रत्येक सैनिक विश्रामगृहों के कंपाउण्ड में बगीचों के रख-रखाव के लिये अंशकालिक माली को भुगतान ।
3. विक्ट्री फंड के लेखे-जोखें तथा अभिलेख के रख-रखाव करने वाले निदेशालय सैनिक कल्याण 30 प्र0 के कार्मिक को मानदेय भुगतान ।
4. सैनिकों की जरूरत मंद विधवाओं, विकलांगों, निराश्रित भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता दिया जाना ।
5. दैविक आपदा (भूकंप, अग्निकांड तथा भूस्खलन व बाढ) में भूतपूर्व सैनिकों के निजी आवासीय घर जिसमें वह स्वयं या उसका परिवार निवास करता हो, के गृहक्षति की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता ।
6. आर्थिक स्थिति से कमजोर व बेरोजगार भूतपूर्व सैनिक की आकस्मिक दुर्घटना से निधन होने पर उसके एक विधिक उत्तराधिकारी को एकमुश्त आर्थिक सहायता ।

उपरोक्त मदों पर प्रत्येक वर्ष भुगतान हेतु लगभग रू0 5,00,000/- (रूपया पॉच लाख) तक व्यय किया जा सकता है । विक्ट्री फंड का एक मात्र आय अर्जित ब्याज ही है ।